

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025

स्थापना आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 54 [स्थापना आदेश-सं. 51 (189 - 241) minus 194, 233], सतर्कता परिपत्र -1,
जन संपर्क अधिकारी इकाई -2,]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-189/2025	04.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-190/2025	03.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
3	आदेश सं-191/2025	03.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
4	आदेश सं-192/2025	04.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं-193/2025	03.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
	आदेश सं-194/2025	जारी नहीं किया		
6	आदेश सं-195/2025	11.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
7	आदेश सं-196/2025	11.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं-197/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
9	आदेश सं-198/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
10	आदेश सं-199/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
11	आदेश सं-200/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
12	आदेश सं-201/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
13	आदेश सं-202/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
14	आदेश सं-203/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
15	आदेश सं-204/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
16	आदेश सं-205/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
17	आदेश सं-206/2025	21.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
18	आदेश सं-207/2025	17.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
19	आदेश सं-208/2025	22.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
20	आदेश सं-209/2025	22.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
21	आदेश सं-210/2025	22.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
22	आदेश सं-211/2025	22.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
23	आदेश सं-212/2025	22.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
24	आदेश सं-213/2025	12.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
25	आदेश सं-214/2025	30.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
26	आदेश सं-215/2025	25.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
27	आदेश सं-216/2025	31.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
28	आदेश सं-217/2025	04.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
29	आदेश सं-218/2025	06.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
30	आदेश सं-219/2025	07.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
31	आदेश सं-220/2025	08.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
32	आदेश सं-221/2025	08.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
33	आदेश सं-222/2025	08.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
34	आदेश सं-223/2025	07.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
35	आदेश सं-224/2025	07.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
36	आदेश सं-225/2025	07.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
37	आदेश सं-226/2025	08.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
38	आदेश सं-227/2025	12.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
39	आदेश सं-228/2025	18.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
40	आदेश सं-229/2025	26.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
41	आदेश सं-230/2025	25.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
42	आदेश सं-231/2025	27.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
43	आदेश सं-232/2025	12.09.2025	अनुवाद किया गया MK	RCR
	आदेश सं-233/2025	जारी नहीं किया		
44	आदेश सं-234/2025	15.09.2025	अनुवाद किया गया -KK	RCR
45	आदेश सं-235/2025	16.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR
46	आदेश सं-236/2025	17.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR
47	आदेश सं-237/2025	22.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR
48	आदेश सं-238/2025	22.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR
49	आदेश सं-239/2025	22.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR

50	आदेश सं-240/2025	23.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR
51	आदेश सं-241/2025	27.09.2025	अनुवाद किया गया	RCR

कुल - 3 [सतर्कता परिपत्र -1, जन संपर्क अधिकारी इकाई -2]

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	सतर्कता परिपत्र 3/2025 bl	08.07.2025	अनुवाद किया गया	RCR
2	जन संपर्क अधिकारी इकाई परिपत्र 1 bl	12.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR
3	जन संपर्क अधिकारी इकाई परिपत्र 2 bl	12.08.2025	अनुवाद किया गया	RCR



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/15/2025-ESTT

दिनांक :04.07.2025

आदेश सं.: 189 / 2025

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अंकित राठोर	02.10.1995	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	सपावत नाधम	05.07.2001	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
3.	विश्वजीत कुमार	30.03.2001	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड
4.	मोहित भास्कर	23.12.1996	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	रिषभ चौहान	01.12.2002	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	सीसीओ-सीसीए
6.	प्रवीण कांबिल	09.05.1995	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7.	श्रद्धा बर्नवाल	16.07.1997	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
8.	सनद एस	27.01.1998	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9.	आल्बिन जोसफ	16.11.1994	सीजीएलई 2024 नई	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			भर्ती	शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
10.	अर्पित दुबे	15.07.2003	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11.	सोमनाथ दास	06.03.1996	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
12.	विशाल कुमार वर्मा	18.09.1998	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड
13.	अनंत सिंह	15.08.2001	सीजीएलई 2024 नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

- अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से तत्काल मुक्त किया जाना है।
- तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनु. प्रमाणित)

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[रानी/सी आर]

अपर आयुक्त [का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
- आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
- आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रति

- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
- उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क (निवारक)/ कोच्चि
- मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
- प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक), लेखा परीक्षा, कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/17/2025-ESTT

दिनांक : 03.07.2025

आदेश सं.: 190 / 2025

विषय : - हवलदार की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

हवलदार के श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सुश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	समीना षमीर वी वी	07.02.2000	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. अधिकारी को तुरंत नई तैनाती के स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए

3. यह केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 04.07.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

॥अनुप्रमाणित॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

ह/-
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त

2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,- केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

श्री ए. ए. साबु पीटर
SUPERINTENDENT
ऑफ़ द
CENTRAL TAX & EXCISE, KOCHI-682012



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT

दिनांक : 03.07.2025

आदेश सं.: 191 / 2025

विषय : - मल्टी-टास्किंग स्टाफ की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

मल्टी-टास्किंग स्टाफ के श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सुश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	के एम सरस्वती शर्मा	28.12.1997	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

2. अधिकारी को तुरंत नई तैनाती के स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए

3. यह केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

5. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 04.07.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

॥ अनुमोदित ॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,- केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारतीय प्रशासनिक सेवा
अधीक्षक (सिस्टम्स)
मुख्यालय, कोच्चि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/16/2025-ESTT

दिनांक : 04.07.2025

आदेश सं.: 192 / 2025

विषय : - कर सहायक की श्रेणी में तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के श्रेणी में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	रेजीष आर	27.05.1983	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
2.	प्रदीपकुमार वी	02.05.1985	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	श्रीजित कुमार	13.03.1986	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4.	दीपक बोरो	01.07.2000	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिककोड आयुक्तालय
5.	मनु मोहन	12.03.1990	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनुमोदित ॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

है।
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा/ कोळिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

THE TAX OFFICE, KERALA
KOTTAYAM
ABU PETER A
ATTENDANT



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/1/2024-ESTT

दिनांक : 03.07.2025

आदेश सं.: 193 / 2025

विषय : - निजी सचिव की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

निजी सचिव के श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	जगदीश पिल्लै	15.05.1972	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. उपरोक्त आदेश का दिनांक 11.07.2025 तक अनुपालन किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 तक इस कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनुमोदित ॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

- मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. तिरुवनंतपुरम/सीसीपी
- सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स /सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



[The following text is extremely faint and illegible, appearing as a large, light-colored rectangular area in the center of the page.]



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT

दिनांक : 11.07.2025

आदेश सं.: 195 / 2025

विषय : - हवलदार की श्रेणी में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
आयुक्तालय - संबन्धित।

हवलदार के श्रेणी में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अनुराग वी वी हवलदार	30.08.2003	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	मुख्यालय,कोच्चि
2.	रूपेन्द्र सिंह, हवलदार	03.07.1994	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल

2. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनु प्रमाणित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[Signature]
[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

- केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/16/2025-ESTT

दिनांक : 11.07.2025

आदेश सं.: 196 / 2025

विषय : - कर सहायक की श्रेणी में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कर सहायक के श्रेणी में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	शक्ति सिंह मीना	10.07.2000	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आदेश के अधीन	काक्कनाड मंडल
2.	श्रीजित कुमार	13.03.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आदेश के अधीन	लेखा (व्यय) अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	मनु मोहन	12.03.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आदेश के अधीन	स्थापना अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनुमोदित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),
केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:197 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/99140)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.04.2025 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 24.04.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री आल्बिन जोसफ को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 24.06.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री आल्बिन जोसफ को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री आल्बिन जोसफ स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के

अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुप्रमाणित ॥
SABU PETER A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री आल्बिन जोसफ,

एट्टचक्कुन्नेल हाउस,

कलत्तूक्कडवु डाकघर,

कोट्टयम, केरल - 686579

डा. -
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:198 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/99167)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.04.2025 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 24.04.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री अनंत सिंह को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 30.06.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री अनंत सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री अनंत सिंह स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के

अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुप्रमाणित ॥
SABU PETER A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

है।
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनंत सिंह,

हाउस नंबर 1/71 /1बी,

कालीनगर, सहदतगंज,

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:199 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/99149)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.04.2025 को आयोजित रोजगार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 24.04.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री अर्पित दुबे को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.06.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री अर्पित दुबे को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री अर्पित दुबे स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के

अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुसूचित ॥
SABU A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ह/-
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अर्पित दुबे,

गाँव - मझिल गाँव,

डाकघर -जजूपुर,

बस्ती, उत्तर प्रदेश - 272127

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:200 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/102017)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.05.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री विशाल कुमार वर्मा को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 27.06.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री विशाल कुमार वर्मा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री विशाल कुमार वर्मा स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई
पूर्व धारणा
के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।
5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के
अधीन होगी।
6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी
किया जाता है ।

॥ अनु प्रमाणित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[Signature]
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री विशाल कुमार वर्मा,
आबिदपुर मनिकी मोदीनगर,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201204

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:201 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/102554)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 30.05.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री सोमनाथ दास को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.06.2025 (अपराहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री सोमनाथ दास को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री सोमनाथ दास स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुप्रमाणित ॥

(Handwritten Signature)

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री सोमनाथ दास,

चिनकुरी राधानगर रेलवे कॉलोनी डाकघर,

राधानगर रेलवे कॉलोनी पुलिसथाना कुल्टी

पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल - 713372

(Handwritten Signature)
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त [का व सत]

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:202 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/102943)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।


इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 08.07.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लियूस) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री वंश सेतिया को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 09.07.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री वंश सेतिया को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री वंश सेतिया स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /


अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई
पूर्व धारणा
के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।
5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के
अधीन होगी।
6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी
किया जाता है ।

॥ अनु प्रमाणित ॥


साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,
श्री वंश सेतिया,
64सी ब्लाक,
नेहरु पार्क के पास, श्री करनपुर,
श्री गंगानगर, राजस्थान - 335073


(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.:203 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/102944)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 08.07.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री अनूप ए को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 11.07.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री अनूप ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री अनूप ए स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुसूचित ॥
[Signature]

[Signature]
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री अनूप ए,

चारुविला पुतेन वीडु,

वेलियम, वेलियम डाकघर,

कोल्लम, केरल - 691540

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(11)/5/2021-ESTT

दिनांक: 17.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 204 /2025

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	बालगोपाल बी	24.01.1993	28.10.2024
2.	जिनु एम आर	01.10.1993	07.11.2024
3.	दिलीप एम	22.03.1990	17.11.2024
4.	मरियम लिसा जॉन	09.01.1998	16.11.2024
5.	साबिन ईपन आदिचित्रा	27.09.1995	25.10.2024
6.	नितिन जोसफ	05.09.1995	25.10.2024
7.	निखिल एस बाबु	03.09.1994	28.10.2024
8.	रोशन थॉमस जॉर्ज	10.08.1991	10.11.2024
9.	कृष्णा एस	06.06.1995	26.10.2024
10.	मुहम्मद मुस्तफा रशीद ए के	11.08.1994	10.11.2024
11.	अशोक पी	29.05.1996	26.10.2024
12.	डेन्नी जॉर्ज	16.03.1995	26.10.2024
13.	अजित कृष्णन वी एस	09.08.1994	10.11.2024
14.	निबिन के एन	09.04.1996	02.11.2024
15.	अभिजित के एस	06.10.1995	27.10.2024
16.	अनिल एस कुमार	08.02.1990	28.10.2024
17.	विनय कुमार वी	28.01.1990	25.10.2024
18.	चेतन शर्मा	16.02.1995	25.10.2024
19.	अश्वंत राज	19.10.1993	25.10.2024

20.	प्रदुमन सिंह	25.09.1998	25.10.2024
21.	संजय	20.02.1998	25.10.2024
22.	दिनेश कुमार मीना	01.03.1995	11.11.2024
23.	दिनेश कुमार मीना (सं.॥)	05.05.1996	22.11.2024

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

3. यह प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

|| अनुमोदित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

ह/-
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त [का.व सत.]

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोळिक्कोड/अपील/लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

दिनांक : 17.07.2025

आदेश सं.: 205 /2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-

संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, समूह 'ख' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में नियमित आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि	अव्यक्तियाँ
1	राकेश सांगवान	02.09.1985	कार्यवाहक क्षमता में
2	संदीप कुमार	15.08.1983	कार्यवाहक क्षमता में
3	आदित्यन ए एम	20.01.1967	कार्यवाहक क्षमता में
4	रविकुमार ई	19.05.1967	कार्यवाहक क्षमता में
5	वेड प्रकाश (श्र.बा.)	05.12.1991	दि: 06.08.2025 को या उसके बाद कार्यग्रहण करना है

2. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023, 527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

3. क्रम संख्या 1 से 4 के अधिकारियों को कार्यवाहक क्षमता में अधीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता

है जब तक कि उनके कनिष्ठों को अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद न पदोन्नत अधिकारियों को कार्यवाहक क्षमता में माना जाएगा। अनारक्षित श्रेणी के कुल चार अधिकारी जो वरिष्ठता में सबसे कनिष्ठ हैं, अगले आदेश तक हर समय कार्यवाहक आधार पर रहेंगे।

4. क्रम संख्या 5 का अधिकारी अपनी प्रतिबंध अवधि पूरी होने पर दिनांक 06.08.2025 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करेगा और आदेश संख्या 80/2025 दिनांक 29.05.2025 द्वारा अधिकारी को दी गई पदोन्नति वापस ले ली जाती है। अन्य लोग तुरंत कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं और दिनांक 28.07.2025 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

6. यह आदेश प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

|| अमु प्रमाणित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
सेवा में CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KCC-1-532018

ह/-
[रानी सी आर]
अपर आयुक्त [का व सत]

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम,
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / , तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

सी.सं.II/(3)/APPT/25/2020-Estt.

दिनांक:21.07.2025

आदेश सं.: 206/2025

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति का नियमितकरण-संबन्धित।

दिनांक 09.07.2025 को आयोजित समीक्षा डीपीसी बैठक में, उच्च पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होने वाले भते सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के कैडर में पदोन्नति के लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की अवधि के दौरान आयोजित डीपीसी की समीक्षा की गई (उन लोगों को छोड़कर, जिन्हें काल्पनिक पदोन्नति दी गई है) और केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में नियमित रूप से पदोन्नत होने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की सिफारिश की गई।

क्रम सं.	नाम(सर्वश्री /श्रीमती)	जन्मतिथि	आदेश सं. व तारीख
1.	अरुल राज ए वी	04.04.1969	28/2021 दि: 01.03.2021
2.	जयश्री जी नायर	16.11.1972	
3.	कुरियन मैथ्यू	14.11.1971	
4.	सण्णी थॉमस	12.04.1973	
5.	षैन एम स्टीफन	03.03.1975	
6.	सूरज कुमार पी	16.05.1976	
7.	रेजी जॉन	30.05.1972	
8.	सौरभ कुमार (एससी)	20.05.1988	
9.	शिवानी (एससी)	05.10.1990	
10.	वेल्लूरी नरसिम्हा नायिक (एससी)	06.04.1989	
11.	अमित भारती (एससी)	16.01.1981	
12.	सुमित कुमार (एससी)	09.09.1990	
13.	विनय (एससी)	28.09.1988	
14.	आशीष कुमार मीना (एसटी)	09.04.1989	
15.	ग्लाडिस जॉन (एसटी)	17.09.1979	
16.	जोषुआ के आई (एसटी)	03.04.1966	
17.	दीपक पांदर (एससी)	26.06.1989	
18.	परदीप तंवर (एससी)	10.03.1987	
19.	स्वप्ना वी एम (एससी)	24.04.1980	
20.	रबीन्द्र कुमार (एससी)	17.08.1981	

21.	लक्ष्मी कुमारी सी	01.06.1975	
22.	जोसफ जॉन	25.04.1974	
23.	हरिकुट्टन जी	14.05.1983	
24.	निखिल टी एस	19.07.1983	38/2021
25.	अभिलाष सी	27.11.1983	दि: 31.03.2021
26.	गोपीप्रशांत जे एस	17.05.1982	39/2021
27.	धन्या नारायणन एम	12.08.1980	दि: 28.04.2021
28.	अल्बर्ट जॉर्ज	01.02.1982	
29.	संदीप उणिक्कृष्णन	04.12.1981	
30.	सौम्या पी	29.01.1981	
31.	सहीरुधीन एन	31.05.1982	
32.	अभिलाष कुमार के	20.05.1980	43/2021
33.	कौस्तुभ कुमार	18.10.1978	दि: 28.05.2021
34.	षहाना एम	02.03.1980	
35.	निखिल मोहन	26.05.1982	
36.	एब्रहाम कोशी टी	28.03.1982	
37.	रेंजिनी पी एस	31.05.1971	
38.	प्रबोध एस	02.05.1987	45/2021
39.	श्रीविद्या सुधीर	27.12.1974	दि: 29.06.2021
40.	विशाक डी	23.11.1983	
41.	जिष्णु ए जी	02.02.1988	
42.	जयन के जी	12.04.1978	
43.	संतिल कुमार एम	14.09.1975	87/2021
44.	जिन्सी एम पी	25.05.1983	दि: 22.10.2021
45.	विनया सी आर	08.05.1975	
46.	मेघा आर	27.05.1984	
47.	दीपेश जी	25.04.1984	
48.	प्रकाशन के	19.03.1970	
49.	जैक्सण जोसफ	09.09.1979	90/2021
			दि: 01.11.2021
50.	श्री बाबु (ओएच)	06.04.1985	127/2024
			दि 04.06.2024
51.	जयंता बिश्वास (एससी)	05.02.1975	52/2022
			दि 31.05.2022
52.	अखिल टी के (एससी)	17.04.1991	127/2022
53.	टी शशु वेंकट कांत (एससी)	06.03.1990	दि 30.12.2022
54.	मनीष कुमार खटाना (एससी)	19.12.1992	
55.	एस प्रणय (एससी)	09.03.1988	
56.	जेकब जोसफ (एसटी)	02.06.1986	
57.	पोतुराजु शिव प्रसाद (एसटी)	23.05.1990	
58.	रीना एम	15.03.1972	22/2022
59.			दि 02.02.2022
60.	प्रिय के एम	17.03.1979	
61.	निशा जयराजन	08.03.1976	27/2022

62.	अजीब चेन्नत	22.03.1980	दि 28.02.2022
63.	सुधीर कुमार के	29.04.1972	
64.	श्रीजित वी	01.08.1982	37/2022
65.	कुमारी गीता वी	01.05.1967	दि 30.03.2022
66.	स्टालिन जे	25.05.1966	
67.	दिनेश एम	21.12.1972	47/2022
68.	रेशमी आर	20.05.1970	दि 28.04.2022
69.	आशा गिरी	21.05.1974	52/2022
70.	रामचंद्रन एम के	01.05.1967	दि 31.05.2022
71.	षजना खुरैषी एम एस	28.05.1974	68/2022
72.	मोहन जोसफ	25.05.1968	दि 04.08.2022
73.	सुनील कुमार के	31.05.1971	127/2022
74.	बीना ए	06.04.1972	दि 30.12.2022
75.	अरुण आर	21.12.1985	
76.	अरुण कुमार ए विजयन	21.08.1986	
77.	कविता एल	21.11.1972	
78.	भास्करनाथ	05.08.1987	
79.	कपिल देव सुरीरा	16.04.1983	
80.	सीना ए मेलेत	09.01.1973	
81.	मिनिमोल टी	03.05.1971	
82.	षिनोज पी	17.04.1982	7/2023
83.	षानिमा ए आर	30.05.1989	दि:27.01.2023
84.	मणिकंठन वी	15.05.1973	
85.	शुभा एच एस	21.05.1972	
86.	विल्लियम्स एम ए	08.03.1973	
87.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	
88.	हरिप्रसाद ए के	01.06.1972	
89.	दिलीप कुमार	01.03.1980	
90.	विक्रमादित्य कुमार	17.10.1982	
91.	जिनीष के	07.11.1974	
92.	राखी नायर	12.06.1976	
93.	राजेश कुमार	31.12.1980	
94.	वीरेंद्र कुमार	01.10.1979	
95.	अजिता कुमारी के एस	30.05.1973	
96.	अशोक कुमार	08.09.1980	
97.	मिराज के के	20.05.1972	
98.	नवीन कुमार	04.10.1986	
99.	षिबु वी एल	25.05.1975	
100.	लीजिन जे कमल	20.04.1980	18/2023 दि:01.02.2023
101.	संतोष टी एस	20.05.1980	67/2023
102.	प्रिया के के	11.12.1979	दि:22.06.2023
103.	राजकुमार सी के	15.05.1974	

104.	बिंदु रेजित	14.05.1974	
105.	प्रकाशन वी	25.03.1968	
106.	मंजु कृष्णदास	13.12.1986	
107.	गुलशन कुमार	08.11.1985	
108.	प्रफुल भंडारी	28.03.1991	
109.	साकेत सिंह ढिल्लौं	03.11.1984	
110.	बादल गफूर ए	12.05.1986	
111.	गीतिका चिब	19.03.1984	231/2023 दि:29.12.2023
112.	अरविंद कुमार कजला	19.08.1985	77/2023
113.	दीपक कुमार (एससी)	03.10.1993	दि:26.07.2023
114.	दोराशाला जगदीश कुमार रेड्डी (ओएच)	17.11.1986	127/2024 दि:04.06.2024
115.	के एम मनीष (एससी)	16.02.1991	77/2023
116.	संदीप सिंह (एससी)	21.03.1996	दि:26.07.2023
117.	विक्रान्त कुमार वर्मा (एससी)	09.02.1993	
118.	कृष्ण कान्त रंगोलिया (एससी)	29.06.1992	
119.	पंकज वरुण (एससी)	20.09.1992	
120.	राज खुंगुर बसुमतरी(एसटी)	27.12.1986	
121.	नेहा मीना (एसटी)	19.09.1996	
122.	रामसागर मीना (एसटी)	08.07.1996	
123.	डिबिन बाबु के जॉनसण के जॉर्ज (ओएच)	25.04.1989	127/2024 दि:04.06.2024
124.	रमजान खान (ओएच)	07.08.1991	127/2024 दि:04.06.2024
125.	मृदुल कुमार सिंह	22.06.1985	218/2023
126.	सुधीर दबास	26.05.1984	दि:04.12.2023
127.	अरविंद गुलिया	24.10.1986	
128.	गौतम कुमार	01.01.1986	
129.	रजनीश	20.03.1983	
130.	पंकज	07.02.1986	
131.	संतोष रावत	15.07.1984	
132.	कमल कुमार	13.10.1988	
133.	शत्रुघन कुमार	02.01.1989	180/2024 दि:29 .11.2024
134.	वीरेश मिश्रा	04.09.1985	218/2023
135.	अभिजीत सिंह	14.10.1987	दि:04.12.2023
136.	रितेश मांडे	03.06.1985	
137.	आशा	17.11.1985	
138.	बालेश्वर कुमार झा	02.06.1979	
139.	चेतन गुप्ता	05.11.1984	
140.	रामलाल	11.10.1986	

141.	अनंत विक्रम सिंह	20.04.1986	
142.	विवेक कुमार त्रिवेदी	01.12.1989	
143.	रवि कुमार	28.05.1988	
144.	शशिकांत सिंह	02.10.1982	
145.	संजीव कुमार	10.03.1984	172/2024 दि:15.10.2024
146.	श्याम कुमार शर्मा	10.03.1984	
147.	परिवेश कुमार स्वामी	23.01.1986	
148.	गौरव वत्स	31.12.1989	
149.	सुधीर खान जे	02.04.1973	
150.	शिवकुमार वी के	09.03.1987	
151.	नीता सुकुमारन	02.07.1975	
152.	मनीष के आर	14.07.1989	
153.	सिलीष पी एम	05.02.1987	
154.	अमन गोवर	30.01.1987	
155.	विनु आर	05.03.1975	
156.	अभिनव सिंह बिष्ट	02.08.1985	
157.	अशोक कुमार	31.12.1985	128/2024
158.	हमीद के के	10.04.1974	दि:04.06.2024
159.	भूपाल कुमार	12.02.1987	239/2023 दि:29.12.2023
160.	संदीप नैन	21.05.1985	128/2024
161.	सलीम कुमार एस	20.05.1969	दि:04.06.2024
162.	दिनेश कुमार	20.11.1989	
163.	अक्षय सिन घ भदौरिया	26.10.1990	
164.	पूजा गुप्ता		150/2024 दि:14.07.2024
165.	सुजाता विजयन	09.11.1977	128/2024
166.	अर्जुन कृष्णा	03.02.1988	दि:04.06.2024
167.	कपिल गर्ग	25.06.1990	
168.	सोनु कुमार	04.06.1988	
169.	मल्लजीत सोनोवाल(एसटी)	26.12.1983	190/2024 दि:30.12.2024
170.	अनुराधा कुमारी	19.03.1986	4/2025 दि:31.01.2025
171.	परदीप कुमार	20.03.1991	06/2025
172.	अजीत कुमार गुप्ता	07.09.1990	दि:04.03.2025
173.	अजीत सिंह चौधरी	17.08.1988	80/2025 दि:
174.	दीपक	15.03.1990	29.05.2025
175.	अलोक कुमार सोनी	23.07.1987	
176.	संदीप कुमार	07.11.1989	
177.	सिनी ब्रिगित थॉमस	11.07.1973	
178.	जयदीप सी	17.02.1975	
179.	संदीप कुमार (एससी)	04.04.1990	

180.	विजया लक्ष्मण बोराडे (एससी)	23.08.1986
181.	भवनेश आज़ाद (एससी)	08.08.1996
182.	कन्हैया कुमार (एसटी)	10.09.1993
183.	क्षितिज शमिनित तिर्की (एसटी)	25.03.1985

2. क्रम संख्या 51 से 57 के अधिकारियों को उनके निकटतम वरिष्ठ श्री बाबू की पदोन्नति की तारीख 22.10.2021 से नियमित आधार पर अधीक्षक के कैडर में पदोन्नत किया जाता है। क्रम संख्या 145 के अधिकारी, श्री संजीव कुमार को 04.12.2023 से काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया गया है और क्रम संख्या 164 की अधिकारी श्रीमती पूजा गुप्ता को 04.06.2024 से काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया गया है, जो उनकी निकटतम कनिष्ठ श्रीमती सुजाता विजयन की तारीख है। हालांकि, अधिकारी अनुमानित पदोन्नति की तारीख से उच्च ग्रेड में प्रभार ग्रहण करने की तारीख तक वेतन के बकाया को आहरित करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. पदोन्नति, ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. उपर्युक्त अधिकारी इस आदेश को जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का ज्ञा दिनांक 26.09.1981 और 05.07.99 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें। विकल्प एक बार दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

5. यह प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

|| अनु प्रमाणित ||
 साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
 अधीक्षक / SUPERINTENDENT
 केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ह/
 [रानी सी आर]
 अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि

प्रति :

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. उप /सहायक आयुक्त,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय

4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/
तिरुवनंतपुरम/ कोळिककोड /लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
5. अधीक्षक (ई डी पी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/15/2025-ESTT

दिनांक : 17.07.2025

आदेश सं.: 207 / 2025

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सपावत नाथम	05.07.2001	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
2.	श्रद्धा बर्नवाल	16.07.1997	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम IV रेंज
3.	सनद एस	27.01.1998	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड मंडल
4.	आल्बिन जोसफ	16.11.1994	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	जन संपर्क अधिकारी अनुभाग
5.	अर्पित दुबे	15.07.2003	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	कोलेनचेरी रेंज
6.	निकसण के ए	11.11.1969	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	इरिन्जालक्कुडा रेंज
7.	विकाश नैन	09.11.1991	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय	काक्कनाड मंडल

			को स्था.आदेश के अधीन	
8.	संदीप कुमार यादव	01.07.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
9.	ख्याति आर्या	25.06.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	समीक्षा अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | नई भर्तियों को छोड़कर अधिकारियों को दिनांक **28.07.2025** तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | नए भर्तियों को उनकी राहत पर तुरंत कार्यग्रहण करना है। यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. क्रम सं. 8 में सूचित अधिकारी नासिन कोच्चि में प्रेरण प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, वे अपने प्रशिक्षण के पूरे होने पर अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण कर सकते हैं।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

5. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **30.07.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट करना है |

॥ अनु प्रमाणित ॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ह/-
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक), लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/6/2025-Estt

दिनांक : 22.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 208 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96358)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, अनारक्षित/भूतपूर्व सैनिक (यूआर/ईएसएम) श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री अरुण कुमार के वी को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 16.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अरुण कुमार के वी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

॥ अनु प्रमाणित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री अरुण कुमार के वी,

ह/-

[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सुपुत्र वेणुगोपालन नायर,
निवेद्यम कुन्नुमपरा,
ऊरुट्टम्बलम डाकघर,
तिरुवनंतपुरम, केरल -695507

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/6/2025-Estt

दिनांक : 22.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 209 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96163)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री अमल कृष्णन के पी को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 17.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अमल कृष्णन के पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

|| अनु प्रमाणित ||
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री अमल कृष्णन के पी,

[Signature]
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सुपुत्र बालकृष्णन के वी,
श्रेयस कट्टियम आरोली डाकघर,
कण्णूर, केरल -670561

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

दिनांक : 22.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 210 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96158)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री नेविन बी जेकब को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 22.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री नेविन बी जेकब को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री नेविन बी जेकब,

ह/-
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सुपुत्र बिजु के सी,
कोच्चुवीटिल हाउस, चेरुकाड डाकघर, कूरचुंडु,
कोळिक्कोड, केरल -673527

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/6/2025-Estt

दिनांक : 22.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 211 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96159)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी (ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और यूआर श्रेणी के तहत चुने गए हैं) के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री श्रुबीन सुरेश को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 22.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री श्रुबीन सुरेश को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के

संबंध में लागू।

॥ अनुप्रमाणित ॥

abhal

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री श्रुबीन सुरेश,

सुपुत्र सुरेश वी टी,

वेल्लामकुळियिल कुट्टिमूला,

मानंतवाडी डाकघर, वायनाड,

केरल -670645

ह/

[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

दिनांक : 22.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 212 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96401)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, अनारक्षित/भूतपूर्व सैनिक (यूआर/ईएसएम) श्रेणी के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री सुरेश कुमार के आर को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक 22.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सुरेश कुमार के आर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार के आर,

६/-
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

दिनांक : 12.08.2025

आदेश संख्या : 213/2025

विषय: हवलदार, हेड हवलदार एवं मल्टी-टास्किंग स्टाफ की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

हवलदार, हेड हवलदार एवं मल्टी-टास्किंग स्टाफ की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियां का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है:

क्र सं	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	
			कहाँ से	कहाँ पर
1	अजिता वी पी, हवलदार	06.05.1969	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2	वीणा एम जे हवलदार	20.09.1996	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3	रुगमणी सी हवलदार	15.05.1967	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4	सुरेन्द्रन ई टी हेड हवलदार	10.04.1971	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5	जिष्णु के हवलदार	04.05.1998	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(विमान पत्तन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक)

			कोळिकोड आयुक्तालय	आयुक्तालय, कोचिन
6	दीपक कुमार के के हेड हवलदार	15.04.1970	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिकोड आयुक्तालय	(विमान पतन, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
7	रमा एल हवलदार	11.05.1967	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
8	संतोष एस हवलदार	25.05.1984	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
9	एंटी जी हेड हवलदार	24.03.1970	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
10	बालु के हेड हवलदार	12.05.1970	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
11	अनुराग वी वी हवलदार	30.08.2003	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
12	डी चंद्रन हवलदार	19.03.1967	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
13	नेविन बी जेकब हवलदार	29.12.1999	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
14	सुरेश कुमार के आर, हवलदार	05.05.1975	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
15	अमल कृष्णन के पी हवलदार	29.01.2001	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
16	श्रुबीन सुरेश हवलदार	19.05.1998	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

				कोळिकोड आयुक्तालय
17	अरुण कुमार के वी हवलदार	25.05.1985	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय
18	आर अनिल कुमार हवलदार	15.03.1977	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय
19	बाबु एन हवलदार	28.05.1976	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिसुवनंतपुरम आयुक्तालय
20	दीपेन्द्र सिंह तोमर मल्टी -टास्किंग स्टाफ	10.08.1997	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय

2. वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनाती, अधिकारियों के आज की तारीख तक की सतर्कता मंजूरी पर निर्भर है। अधिकारियों को संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे] में भेजने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस काम के लिए सतर्कता के नज़रिए से साफ़ हैं। हवाई अड्डों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल 1 (एक) वर्ष का होगा, लेकिन विभाग को प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर उन्हें पहले भी स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

3. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। नई भर्तियों को छोड़कर, सभी अधिकारियों को दि: 22.08.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें दि: 27.08.2025 तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। नई भर्तियों को कार्यमुक्त होते ही तुरंत कार्यग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. नियंत्रण अधिकारियों को दि : 29.08.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

॥ अनु प्रशासक ॥
SABU PETER A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-582018

सेवा में

संबंधित व्यक्ति

रानी सी आर

अपर आयुक्त [का व सत]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
5. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

प्रतिलिपि:-

1. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन के उप /सहायक आयुक्त
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि ।
3. सीएओ/ पीएओ /एओ (डीडीओ) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन ।
4. अधीक्षक (सतर्कता/मुख्यालय)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन।
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), . कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-Estt

दिनांक : 30.07.2025

आदेश संख्या : 214/2025

विषय: केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियां का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्र सं	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	
			कहाँ से	कहाँ पर
1	वंश सेतिया	26.06.2003	सीजीएलई 2024-नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2	अनूप ए	09.07.1999	सीजीएलई 2024-नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3	मुहम्मद फैसल ई	25.05.1970	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। नई भर्तियों को छोड़कर, सभी अधिकारियों को दि:08.08.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। नई भर्तियों को कार्यमुक्त होते ही तुरंत कार्यग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. नियंत्रण अधिकारियों को दि : 11.08.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

॥ अनुमोदित ॥

ह/-
[रानी सी आर]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018
सेवा में संबंधित व्यक्ति

अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
3. सीएओ/ पीएओ / के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि ।
4. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि ।
5. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स), . कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2025-Estt

दिनांक : 25.07.2025

स्थापना आदेश सं.: 215 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/ मल्टी-टास्किंग स्टाफ /96409)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से मल्टी-टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी के अंतर्गत मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार श्री रूपेंद्र सिंह तोमर को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भते में, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में दिनांक 25.07.2025 (पूर्वाहन) से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रूपेंद्र सिंह तोमर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

॥ अनुसूचित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT

ह/—
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री रूपेंद्र सिंह तोमर,

सुपुत्र राजवीर सिंह तोमर,

पक्का बाग तिराहा,

दक्षिण गली केदार भवन,

इटावा, उत्तर प्रदेश -206001

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

F.No./II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

दिनांक : 31.07.2025

आदेश संख्या : 216 /2025

विषय: अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति के संबंध में।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को पदोन्नति के आदेश की तिथि अर्थात् 29.05.2025 से प्रभावी, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में, साथ ही समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देय भत्ते सहित समूह 'ख' अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र सं	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	वर्तमान तैनाती स्थान	समय-सीमा जिसके भीतर अधिकारी को मूल संवर्ग में पुनः कार्यभार ग्रहण करना चाहिए
1	अलोक कुमार सोनी	डीजीजीआई, रौरकेला क्षेत्रीय इकाई	31.01.2027

- उपर्युक्त अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उधार लेने वाले संगठन में निम्न पद पर कार्य करना जारी रख सकते हैं तथा मूल संगठन में अधीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता एवं वेतन संरक्षित रहेंगे।
- वरिष्ठता के उद्देश्य से पदोन्नति की प्रभावी तिथि पदोन्नति आदेश की तिथि (अर्थात् 29.05.2025) ही मानी जाएगी।
- प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प चुनने वाले उपर्युक्त अधिकारी के लिए अनुमोदित अवधि से परे प्रतिनियुक्ति अवधि के किसी अन्य विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि अधिकारी प्रोफार्मा पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है या नियमित पदोन्नति स्वीकार करने के लिए वापस नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी ने पदोन्नति से इनकार कर दिया है।
- यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी है।

||अनुमोदित||
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[Signature]
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, डीजीजीआई, रौरकेला क्षेत्रीय इकाई
2. सहायक निदेशक, डीजीजीआई, भुवनेश्वर जोनल इकाई
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-Estt

दिनांक : 04.08.2025

आदेश संख्या : 217/2025

विषय: केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

एसईजेड(SEZ) में अधिकारियों की पदोन्नति और कार्यकाल पूरा होने के मद्देनजर, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कैडर में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश दिया जाता है।

क्र सं	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	
			कहाँ से	कहाँ पर
1	बैजु आर	23.04.1971	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	ईटीपी -1 SEZ ट्रिवेन्ड्रम
2	बीजा मुरली आर	30.05.1972	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	KSITIL, SEZ, कोल्लम
3	मनोज आर	13.05.1970	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोल्लिकोड	ULCCS SEZ, कोल्लिकोड
4	मुहम्मद अशरफ़ एस वी	01.01.1973	ULCCS SEZ, कोल्लिकोड	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोल्लिकोड
5	टी आर कृष्णकुमार	13.05.1968	KSITIL, SEZ, कोल्लम	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
6	एस सीता रामन	06.03.1968	ईटीपी -1 SEZ	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद

			ट्रिवेनड्रम	शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7	राकेश सांगवान	02.09.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
8	संदीप कुमार	05.08.1983	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9	आदित्यन ए एम	20.01.1967	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
10	रवि कुमार ई	19.05.1967	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11	वेद प्रकाश	05.12.1991	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
12	वीरेश मिश्रा	04.09.1985	(विमान पतन/आईवई कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम में ही रखा गया
13	भवनेश आज़ाद	08.08.1996	वंडीपेरियार रेंज, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन

2. क्रम संख्या 1 से 3 के अधिकारियों को उनके संबंधित एसईजेडों में कार्यग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए एसईजेडों में तैनात किया जाता है। उन्हें कोच्चि विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोच्चि के विकास आयुक्त को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

3. क्रम संख्या 11 के अधिकारी, वेद प्रकाश, जिन्हें आदेश संख्या 80/2025 दिनांक 29.05.2025 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई थी, उनकी पदोन्नति वापस ले ली गई थी और इसलिए, आदेश संख्या 110/2025 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से उनका स्थानांतरण रद्द कर दिया गया है।

4. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों (क्रम संख्या 11 के अधिकारी को छोड़कर, जिसे 06.08.2025 को या उसके बाद पदोन्नत किया जा रहा है, जिसे कार्यभार संभालने के 10 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जा सकता है) को दि:11.08.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से

कार्यमुक्त कर दिया जाएगा । निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे । नियंत्रण अधिकारियों को दि : 13.08.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

6. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुमोदित ॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A
अधीक्षक / SUPERINTENDENT

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
संबंधित अधिकारियों (अधीक्षक/अधीक्षिका, कोच्चि/मु. कोच्चि)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त,कोच्चि
5. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
6. विकास आयुक्त, CSEZ, कोच्चि - कार्यग्रहण /कार्यमुक्त रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु अनुरोध के साथ

प्रतिलिपि:-

1. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि/ लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
3. सीएओ/ पीएओ / के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि/ लेखा परीक्षा, कोच्चि ।
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोळिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय / लेखा परीक्षा, कोच्चि ।
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), . कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि ।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/16/2025-ESTT

दिनांक : 06.08.2025

आदेश सं.: 218 / 2025

विषय : - कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अभिषेक पाण्डेय	30.04.1999	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि [सीमा शुल्क अपील आयुक्त के साथ नियुक्त]

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को दि: 08.08.2025 तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि: 11.08.2025 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है | यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 14.08.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
सेवा में CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील कोच्चि
4. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),
केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

4. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-Estt

दिनांक : 07.08.2025

स्थापना आदेश सं.: 219 / 2025

विषय :- अधीक्षकों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करना - संबन्धित

निम्नलिखित अधीक्षक को अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 4 वर्ष पूरे होने पर में 5400/- रुपये की जीपी में (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 9) का गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया है।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तारीख	एनएफ़्यू प्रदान करने की तारीख
1	मुरली पी	18.12.2020	18.12.2024

अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के एक महीने के भीतर समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981, 09.11.1987 और 28.11.2019 के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

||अनुपमानीत||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ए/-
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तृशूर मंडल

STATE OF ILLINOIS
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, ROCKFORD, ILLINOIS
BY: [Signature] SUPERINTENDENT
DATE: [Date]



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/32/2020 - ESTT

दिनांक : 08.08.2025

आदेश सं.: 220 / 2025

विषय : हेड हवलदार की श्रेणी में काल्पनिक पदोन्नति के संबंध में ।

दिनांक 05.08.2025 को आयोजित समीक्षा डीपीसी बैठक में, ओएम संख्या 22011/4/2013 -Estt. (डी) दिनांक 08.05.2017 के साथ पठित और बोर्ड के पत्र एफ.नं.32018/22/2021 -एडी.III ए दिनांक 28.04.2022 और 29.12.2022 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सूचित किया गया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एबी-14017/17/2018-स्था. RR दिनांक 12.08.2021 द्वारा दी गई अर्हक सेवा में छूट के आधार पर रिक्ति वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के हेड हवलदार के कैडर को काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के लिए दिनांक 22.12.2021 को आयोजित वार्षिक डीपीसी बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. उपरोक्त समीक्षा डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से वेतन मैट्रिक्स (19,000-63,200 रुपये) के स्तर -2 में हेड हवलदार (समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के ग्रेड में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है, साथ ही ऐसे भत्ते भी दिए जाएंगे, जो उनके नाम के सामने लिखी तारीख से लागू होंगे।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	हेड हवलदार के रूप में पदोन्नति की पूर्व तिथि	काल्पनिक पदोन्नति की तिथि
1	सनित कुमार के टी (एससी)	19.12.1979	05.01.2022	04.01.2021
2	दीपा के नायर	04.09.1979	03.01.2022	08.01.2021

3. अधिकारियों को काल्पनिक पदोन्नति का लाभ मिलने की तिथि और पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए कोई वित्तीय बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018
सेवा में

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त [का व सत]

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड
/लेखा परीक्षा /अपील /सीसीपी

प्रति :

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील /सीसीपी के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्त
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील /सीसीपी
4. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील /सीसीपी



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt

दिनांक :08.08.2025

आदेश सं.: 221 / 2025

विषय: कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित अधिकारियों को कर सहायक के ग्रेड में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित वेतन मेट्रिक्स में लेवल -4 में (₹.25,500 -81,100) वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से इसके साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	उष्णिक्कृष्णन पी ओ, हेड हवलदार	31.05.1973	कोळिककोड आयुक्तालय
2	गिरीश बाबु तुंडीयिल, हेड हवलदार	30.05.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
3	वल्सला एम वी हेड हवलदार	08.05.1970	कोळिककोड आयुक्तालय
4	थॉमस जेवियर सी हेड हवलदार	08.04.1970	कोळिककोड आयुक्तालय
5	अनिल कुमार आर हेड हवलदार	17.05.1975	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
6	बिनुमोन टी पी हेड हवलदार	19.05.1975	कोळिककोड आयुक्तालय
7	के बी सेबास्टियन हेड हवलदार	18.03.1975	कोळिककोड आयुक्तालय
8	पी रजनी, हेड हवलदार	26.05.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
9	के हरिनारयाणन, हेड हवलदार	30.04.1966	कोळिककोड आयुक्तालय
10	रविप्रसाद पी वी,एलडीसी	28.02.1971	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय

2. अधिकारी दिनांक 22.08.2025 को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन

वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा ।

3. नियंत्रण अधिकारियां संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 29.08.2025 तक भेज देनी चाहिए ।

॥अनु प्रमाणित॥

साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत हैं

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
2. आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम ।
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति :

1. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स/ मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड ।
3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का.व सत.]



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/11/1/2020-Estt

दिनांक: 08.08.2025

आदेश सं.: 222 /2025

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 -Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कर सहायकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से उनकी श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	प्रांशी सिंह	18.02.1994	18.03.2024
2.	विवेक कृष्णा एम सी	11.03.1993	18.03.2024

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

|| अनुप्रमाणित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
सेवा में CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त [का.व सत.]

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]
प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

- मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
- अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
- सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

दिनांक : 07.08.2025

स्थापना आदेश सं.: 223 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/103198)

विषय :- हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी दिनांक 05.08.2025 की समसंख्यक नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, श्री आर अनिल कुमार (यूआर श्रेणी) को, जो पहले अंशकालिक आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, नियमित कर दिया गया है और उन्हें अस्थायी क्षमता पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, दिनांक 06.08.2025(अपराहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री आर अनिल कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

|| अनुसूचित जाति ||
[Handwritten signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री आर अनिल कुमार,

[Handwritten signature]
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]


सुपुत्र एन राधाकृष्णा पिल्लै,
विल्लतिल, कण्णिमेल चेरी,
कवनाडु डाकघर,
केरल - 691003

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

दिनांक : 07.08.2025

स्थापना आदेश सं.: 224 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/103199)

विषय :- हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी दिनांक 05.08.2025 की समसंख्यक नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, श्री एन बाबु (यूआर श्रेणी) को, जो पहले अंशकालिक आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, नियमित कर दिया गया है और उन्हें अस्थायी क्षमता पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, दिनांक 06.08.2025(अपराहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एन बाबु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में,

श्री एन बाबु,

[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सुपुत्र नीलाकंठा पिल्लै,
बैजु मंदिरम, नडक्कल
विलवूरकोणम डाकघर, कल्लुवातिककल,
कोल्लम, केरल - 691578

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

दिनांक : 07.08.2025

स्थापना आदेश सं.: 225 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/103200)

विषय :- हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी दिनांक 05.08.2025 की समसंख्यक नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, श्री डी चंद्रन (एससी श्रेणी) को, जो पहले अंशकालिक आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, नियमित कर दिया गया है और उन्हें अस्थायी क्षमता पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, दिनांक 06.08.2025(पूर्वाहन) से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री डी चंद्रन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
सेवा में, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

श्री डी चंद्रन,

ह/ -
[रानी सी.आर.]

अपर आयुक्त[का व सत]

सुपुत्र देवदास,
पॉवर हाउस डिविषन
पल्लिवासल डाकघर, देविकुलम,
इडुक्की, केरल - 685612

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में डिउपलोड करने हेतु

RECEIVED
DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS
CHENNAI
10/08/2018



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/59/2021 - ESTT

दिनांक : 08.08.2025

आदेश सं.: 226 / 2025

विषय : अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में काल्पनिक पदोन्नति के संबंध में ।

दिनांक 05.08.2025 को आयोजित समीक्षा डीपीसी बैठक में, ओएम संख्या 22011/4/2013 - Estt. (डी) दिनांक 08.05.2017 के साथ पठित और बोर्ड के पत्र एफ.नं.32018/22/2021 -एडी.III ए दिनांक 28.04.2022 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सूचित किया गया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एबी-14017/17/2018-स्था. RR दिनांक 12.08.2021 द्वारा दी गई अर्हक सेवा में छूट के आधार पर रिक्ति वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अवर श्रेणी लिपिक के कैडर को काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के लिए दिनांक 29.12.2021 को आयोजित वार्षिक डीपीसी बैठक तथा दिनांक 10.05.2021 को आयोजित पूरक डीपीसी बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. उपरोक्त समीक्षा डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से वेतन मैट्रिक्स (रु.19,900-63,200) में लेवल-2 में निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है, साथ ही ऐसे भत्ते भी दिए जाएंगे, जो उनके नाम के सामने लिखी तारीख से लागू होंगे।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	एलडीसी के रूप में पदोन्नति की पूर्व तिथि	काल्पनिक पदोन्नति की तिथि
1	श्रीजित के वी (एससी-एम)	14.04.1990	07.01.2022	05.01.2021
2	राहुल टी राज (एससी-एम)	09.08.1986	05.01.2022	05.01.2021
3	अखिल थॉमस	13.01.1993	01.01.2022	05.01.2021
4	राकेश के आर (एससी-एम)	13.05.1994	11.05.2022	14.02.2022
5	सबना टी एस	04.03.1984	11.05.2022	14.02.2022
6	हरिकृष्णन ए आर (एससी-एम)	09.08.1997	11.05.2022	15.02.2022

3. अधिकारियों को काल्पनिक पदोन्नति का लाभ मिलने की तिथि और पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए कोई वित्तीय बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

॥ अनुप्रमाणित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[Signature]
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त [का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ अपील

प्रति :

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक आयुक्त, काक्कनाड /पेरुम्बावूर मंडल
2. अधीक्षक (सत./सिस्टम्स/मुख्यालय), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कोच्चि
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/27/2024-ESTT

दिनांक : 12.08.2025

आदेश सं.: 227 / 2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/ सुश्री)	जन्म तिथि	पदनाम	...से	... को
1.	संदीप कुमार	15.08.1983	अधीक्षक	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	वंडीपेरियार रेंज
2.	विजया टी. एन	13.08.1973	अधीक्षक	आम्बल्लूर रेंज, चालक्कुडी	काक्कनाड मंडल
3.	रविकुमार ई	19.05.1967	अधीक्षक	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	आम्बल्लूर रेंज
4.	गीता के पी	28.01.1969	अधीक्षक	मुख्यालय,कोच्चि	आरटीआई अनुभाग, मु.,कोच्चि
5.	जिन्सी एम पी	21.05.1983	अधीक्षक	एर्णाकुलम मंडल	तकनीकी/डीजीएआरएम अनुभाग,मु.,कोच्चि
6.	बरदा प्रसन्न दास मल्लिक	15.07.1978	अधीक्षक	बकाया /प्रशिक्षण अनुभाग, मु.,कोच्चि	बकाया /सेवोत्तम/ प्रशिक्षण अनुभाग, मु.,कोच्चि

7.	अनंदन नायर	31.05.1967	अधीक्षक	तकनीकी /आरटीआई अनुभाग, मु.,कोच्चि	तकनीकी अनुभाग मु.,कोच्चि
8.	पोतुराजु शिवप्रसाद	23.05.1990	अधीक्षक	सांख्यिकी / डीजीएआरएम अनुभाग	सांख्यिकी अनुभाग
9.	अनूप ए	09.07.1999	निरीक्षक	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
10.	लिंडा नेविन	06.02.1998	निरीक्षक	सिस्टम्स अनुभाग, मु.,कोच्चि	सिस्टम्स/ आरटीआई अनुभाग, मु.,कोच्चि
11.	रामेन्द्र सिंह	30.03.1991	निरीक्षक	सांख्यिकी अनुभाग,मु.,कोच्चि	सांख्यिकी / डीजीएआरएम अनुभाग
12.	जिंस पयस	16.01.1997	निरीक्षक	तकनीकी /आरटीआई अनुभाग, मु.,कोच्चि	तकनीकी अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | नई भरतीयों को छोड़कर अधिकारियों को दिनांक **22.08.2025** तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | नई भरतियों को कार्यमुक्त होते ही तुरंत कार्यग्रहण करना है। यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **25.08.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट करना है |

|| अनुप्रमाणित ||
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCCHI-2018

[Signature]
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि -हिंदी रूपांतर हेतु
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/17/2025-ESTT

दिनांक : 18.08.2025

आदेश सं.: 228 / 2025

विषय : - हवलदार एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

हवलदार एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ की श्रेणियों में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	नेविन बी जेकब हवलदार	29.12.1999	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	मुख्यालय,कोच्चि
2.	सुरेश कुमार के आर हवलदार	05.05.1975	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड मंडल
3.	अमल कृष्णन के पी हवलदार	29.09.2001	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
4.	दीपेन्द्र सिंह तोमर मल्टी टास्किंग स्टाफ	10.08.1997	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	इडुक्की मंडल


2. अधिकारियों को उनकी कार्यमुक्त होने पर तुरंत कार्यग्रहण करना है ।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है ।
4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 21.08.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट करना है ।

|| अनुमोदित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ह/—
[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT

दिनांक : 26.08.2025

आदेश सं.: 229 / 2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक एवं निरीक्षक के केंद्रों में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधीक्षक एवं निरीक्षक के केंद्रों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदनाम	...से	... को
1.	निखिल मोहन	26.05.1982	अधीक्षक	डीआरआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई से प्रत्यावर्तन पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2.	अनंतु नानू उदयनन	11.04.1990	निरीक्षक	डीआरआई ट्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय इकाई से प्रत्यावर्तन पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | नई भरतीयों को छोड़कर अधिकारियों को दिनांक 29 .08.2025 तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

4. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 01.09.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट करना है ।

|| अनु प्रमाणित ||
[Signature]

[Signature]
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/15/2025-ESTT

दिनांक : 25.08.2025

आदेश सं.: 230 / 2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनातियां संबन्धित।

आदेश सं.227/2025 दिनांक 12.08.2025 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	पदनाम	...से	... को
1.	जिन्सी एम पी	21.05.1983	अधीक्षक	तकनीकी/डीजीएआरएम अनुभाग,मु.,कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल में ही रखा गया
2.	के एम मनीष	16.02.1991	अधीक्षक	एर्णाकुलम मंडल	तकनीकी/डीजीएआरएम अनुभाग,मु.,कोच्चि
3.	जिंस पयस	16.01.1997	निरीक्षक	तकनीकी अनुभाग, मु.,कोच्चि	डीजीएआरएम अनुभाग,मु.,कोच्चि
4.	गजेन्द्र कुमार मीना	31.10.1995	निरीक्षक	एर्णाकुलम मंडल	तकनीकी अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक **02.09.2025** तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 04.09.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट करना है ।

॥ अनुप्रमाणित ॥

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि -हिंदी रूपांतर हेतु
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-ESTT

दिनांक : 27.08.2025

आदेश सं.: 231 / 2025

विषय : - कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	गिरीश बाबु तुंडीयिल	30.05.1968	पदोन्नति पर	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2.	वल्सला एम वी	08.05.1970	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
3.	थॉमस जेवियर सी	08.04.1970	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
4.	अनिल कुमार आर	17.05.1975	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
5.	बिनुमोन टी पी	19.05.1975	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
6.	के बी सेबास्टियन	18.03.1975	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
7.	पी रजनी	26.05.1968	पदोन्नति पर	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
8.	के हरिनारायणन	30.04.1966	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
9.	रविप्रसाद पी वी	28.02.1971	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक 04.09.2025 तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है और नई तैनाती स्थान में दिनांक 15.09.2025 तक कार्यभार ग्रहण करना है | यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |
4. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |
5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 19.09.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट करना है |

॥ अनुसूचित ॥
SABU PETER A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में


संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा / तिरुवनंतपुरम
4. सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि -हिंदी रूपांतर हेतु
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/17/2025-ESTT

दिनांक : 12.09.2025

आदेश सं.: 232 / 2025

विषय : - हेड हवलदार की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	मुरुगन एम	26.05.1969	मुख्यालय,कोच्चि	मून्नार रेंज

2. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनुपमापित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

[Signature]
[माया कुरियन]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt

दिनांक : 15.09.2025

आदेश सं.: 234 / 2025

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र मुख्य आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या 32/2025 (डीजीएचआरडी/एडीसी-जेसी/149/2025), दिनांक 20.08.2025 के जारी होने के परिणामस्वरूप, कोच्चि सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन का आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	लिंक अधिकारी
1	रानी सी आर, अपर आयुक्त	स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, प्रशासन, सीआरयू, लेखा, भविष्या, सिस्टम्स, आधारिक संरचना, कल्याण जीएसटी कक्ष, कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, खेल, मुख्यालय एवं राजभाषा, एर्णाकुलम, चालक्कुडी एवं त्रिशूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेगेसी कार्य; आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	फारा ज़खरिया, संयुक्त आयुक्त
2	फारा ज़खरिया, संयुक्त आयुक्त	अपवंचनरोधी, मुकदमा, सत्यापन कक्ष, तकनीकी, संसद प्रश्न, डीजीएआरएम, सांख्यिकी एवं आसूचना एवं जीएसटी सेवा केंद्र, कक्ष, न्यायनिर्णयन, सूचना अधिकार अधिनियम, आलुवा, पेरुम्बावूर, इडुक्की एवं काक्कनाड केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी ले गेसी	रानी सी आर, अपर आयुक्त

		कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	
3	डॉ ए वेकडेश बाबु, संयुक्त आयुक्त	विधिक, समीक्षा, लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, सूचना का अधिकार अधिनियम (अपील), प्रशिक्षण, सवोतम, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	फारा ज़खरिया, संयुक्त आयुक्त

॥ अनुसमाहित ॥
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

सेवा में
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018
संबन्धित व्यक्तियां

६/-
[के कालिमुत्तु]
आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर / संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप / सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt

दिनांक : 16.09.2025

आदेश सं.: 235 / 2025

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक
आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच
निम्नलिखित कार्य आवंटन/लिक अधिकारियों का आदेश इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	माया कुरियन	स्थापना, का.व सत., प्रशासन, सीआरयू, लेखा एवं सिस्टम्स	शरतचंद्रन एम	शुभा चंद्रन
2	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा, सत्यापन कक्ष, तकनीकी, ससंद प्रश्न, डीजीए आरएम, सांख्यिकी एवं आसूचना व जी एसटी सेवा केंद्र	माया कुरियन	शुभा चंद्रन
3	आर बैजु	न्यायनिर्णयन	राजा टोमी	शरतचंद्रन एम
4	रंजित शांतकुमार	समीक्षा,आधारिक संरचना, कल्याण,स्वच्छ भारत सुगम्य भारत, खेल एवं मुख्यालय	शुभा चंद्रन	राजा टोमी
5	शुभा चंद्रन	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर लता	रंजित शांतकुमार

6	राजा टोमी	सूचना अधिकार अधिनियम (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण एवं सवोत्तम	आर षैजु	आर लता
7	आर लता	विधिक	रंजित शांतकुमार	आर षैजु
8	राजेश जेकब के	आलुवा मंडल	बीना वास एस	सी संतोष कुमार मेनोन
9	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	एर्णाकुलम मंडल	सी संतोष कुमार मेनोन	मेरीकुट्टी चाको
10	सी संतोष कुमार मेनोन	काक्कनाड़ मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने
11	बीना वास एस	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	जॉय जोसफ
12	शशिधरन	तृशूर मंडल	राजेश जेकब के	बीना वास एस
13	मेरीकुट्टी चाको	पेरुम्बावूर मंडल	जॉय जोसफ	शशिधरन
14	जॉय जोसफ	इडुक्की मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सी संतोष कुमार मेनोन

- सौंपे गए कार्यभार के अतिरिक्त, अधिकारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करेगा।
- सहायक आयुक्त श्री राजा टॉमी, सहायक निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय कोच्चि के लिए लिंक अधिकारी होंगे
- यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

|| अनु प्रशासक ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

[रानी सी आर]


अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

- सभी अपर/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
- सभी उप सहायक आयुक्त/केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
- केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
- अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

दिनांक :17.09.2025

आदेश सं.: 236 / 2025

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारी को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नाम के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजीव पी पी, अधीक्षक	23.05.1973	तृतीय	23.02.2022	स्तर -10

2. अधिकारी को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में 'वरिष्ठ-कनिष्ठ' की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए

सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(l)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.जा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगा DOP & T का.जा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन के लिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-'बी') अधिकारियों को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय जापन (ओ.एम.) सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

|| अनुमोदित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग

सेवा में CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, N.C. 32018

ह/ -
(रानी सी आर)

अपर आयुक्त(का. व सत.)

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क ,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
- 3.
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

3. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि / सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन,
प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के
वैबसाइट में अपलोड करें ।
5. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No.II/(3)/APPT/25/2020 -Estt

दिनांक:22.09.2025

आदेश सं.: 237 /2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति का नियमितकरण-
संबन्धित।

दिनांक 04.11.2014 के आदेश संख्या -187/ 2014 के जरिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त श्रेणी में प्रभार ग्रहण करने की तारीख से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में इस के साथ नियमित किया जाता है।

क्रम सं.	नाम(सर्वश्री /श्रीमती)	जन्मतिथितारीख से नियमितकृत	वरिष्ठता
1	कन्नारा बालचंद्रन	31.12.1968	04.11.2014	दि :20.07.2016 को आयोजित समीक्षा डीपीसी बैठक द्वारा तैयार पैनल में श्रीमती गंगादेवी टी एस के ठीक नीचे रखा गया
2	पी एल जॉय	18.05.1963	04.11.2014	उपर्युक्त क्रम सं.1 श्री कन्नारा बालचंद्रन के नीचे रखा गया
3	पी डी संतोष बाबु	20.02.1967	04.11.2014	दि :20.07.2016 को आयोजित समीक्षा डीपीसी बैठक द्वारा तैयार पैनल में श्रीमती लिज्जी थॉमस के ठीक नीचे रखा गया
4	राधाकृष्ण पिल्लै के आर	25.05.1964	04.11.2014	उपर्युक्त क्रम सं.3 श्री पी डी संतोष बाबु के नीचे रखा गया
5	सी सी बेबी	25.12.1963	04.11.2014	उपर्युक्त क्रम सं.4 श्री राधाकृष्ण पिल्लै के आर के नीचे रखा गया

2. पदोन्नति, ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

3. उपर्युक्त अधिकारी इस आदेश को जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का जा दिनांक 26.09.1981 और 05.07.99 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें। विकल्प एक बार दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा ।

4. यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

॥ अनुमोदित ॥
SABU PETER A.

साबु पीटर ए. / SABU PETER A

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

ह/ [रानी सी आर]

अपर आयुक्त(का व सत)

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / कोळिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि

प्रति :

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क निवारक के उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / लेखा परीक्षा /सीसीपी
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / लेखा परीक्षा /सीसीपी
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(3)/36/2020 - ESTT

दिनांक :22.09.2025

आदेश सं.: 238 / 2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में काल्पनिक पदोन्नति-संबन्धित।

श्री के मुरलीधरन (जन्मतिथि-01.05.1967), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक को एतद्वारा, उनके तत्काल कनिष्ठ, श्री विल्लियम्स एम ए के अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तारीख दिनांक 27.01.2023 से प्रभावी भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 में नियमित आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के संवर्ग में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है।

2. अधीक्षक संवर्ग में अधिकारी की वरिष्ठता श्रीमती शुभा एच एस के ठीक नीचे और श्री श्री विल्लियम्स एम ए के ठीक ऊपर निर्धारित की गई है।

3. अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पहले की काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के बकाया, यदि कोई हो, के लिए हकदार है। उपर्युक्त अधिकारी को इस आदेश को जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा। यदि अधिकारी को पहले से ही एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है, तो वह अब वेतन निर्धारण लाभ का हकदार नहीं होगा।

4. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023, 527/2023, 543/2023, 344 /2024 एवं 304 /2025 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लंबित कोई अन्य लंबित केसों के परिणाम के अधीन है।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 03.10.2025 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

6. यह आदेश केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

साबु पीटर ए. / SABU PETER A
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018
सेवा में

ह/—
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कोच्चि / कोळिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोळिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-Estt

दिनांक : 22.09.2025

स्थापना आदेश सं.: 239 / 2025


विषय :- अधीक्षकों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन(एनएफयू) प्रदान करना - संबन्धित


निम्नलिखित अधीक्षकों को अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 4 वर्ष पूरे होने पर 5400/- रुपये की जीपी में (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 9) का गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया है।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तारीख	एनएफयू प्रदान करने की तारीख
1	सुमित कुमार	01.03.2021	01.03.2025
2	आशीष कुमार मीना	01.03.2021	01.03.2025
3	लक्ष्मी कुमारी सी	01.03.2021	01.03.2025
4	सौरभ कुमार	02.03.2021	02.03.2025
5	जयन के जी	01.07.2021	01.07.2025

अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के एक महीने के भीतर समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 26.09.1981, 09.11.1987 और 28.11.2019 के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

यह आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है


साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018


[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

1. सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इडुक्की मंडल
2. सहायक निदेशक (स्था.), प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

दिनांक : 23.09.2025

आदेश संख्या : 240/2025

विषय: हवलदार एवं हेड हवलदार की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

हवलदार एवं हेड हवलदार की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियां का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है:

क्र सं	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	
			कहाँ से	कहाँ पर
1	एंटणी जे, हेड हवलदार	24.03.1970	(विमान पत्तन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय में ही रखा गया
2	बालु के हेड हवलदार	12.05.1970	(विमान पत्तन, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय में ही रखा गया
3	सुरेन्द्रन ई टी हेड हवलदार	10.04.1971	(विमान पत्तन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिककोड आयुक्तालय में ही रखा गया
4	रुग्मणी सी	15.05.1967	(विमान पत्तन, करिपुर)	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय

	हवलदार		सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय
5	विश्वनाथन पी सी हेड हवलदार	29.05.1966	(विमान पतन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को स्था.आदेश के अधीन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6	बाबु एन हवलदार	28.05.1976	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेन्द्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
7	सिद्धार्थ डी आर हवलदार	14.02.2000	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	(विमान पतन, ट्रिवेन्द्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
8	संजय कुमार मिश्रा हवलदार	27.03.1999	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	विमान पतन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
9	बानोत अनिल हवलदार	15.08.2002	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोळिक्कोड आयुक्तालय	विमान पतन, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनाती, अधिकारियों के आज की तारीख तक की सतर्कता मंजूरी पर निर्भर है। अधिकारियों को संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे] में भेजने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस काम के लिए सतर्कता के नज़रिए से साफ़ हैं। हवाई अड्डों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल 1 (एक) वर्ष का होगा, लेकिन विभाग को प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर उन्हें पहले भी स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

3. सुश्री रुग्मणि सी, हवलदार (क्रम सं.4) का स्थानांतरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, इसलिए वह टिए के हस्तांतरण की हकदार नहीं हैं

4. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि:03.10.2025 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें दि: 10.10.2025 तक अपने नए तैनाती स्थान

पर कार्यग्रहण करना होगा। नई भर्तियों को कार्यमुक्त होते ही तुरंत कार्यग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. नियंत्रण अधिकारियों को दि : 15.10.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

॥ अबु प्रसाद जित ॥
[Signature]

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.

अधीक्षक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

सेवा में

[Signature]
[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

संबंधित व्यक्तियां (पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
5. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

प्रतिलिपि:-

1. कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन के उप /सहायक आयुक्त
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि।
3. सीएओ/ पीएओ /एओ (डीडीओ) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन।
4. अधीक्षक (सतर्कता/मुख्यालय)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन।
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), . कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि।

THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE COMMISSIONER
CENTRAL TAX & CUSTOMS SERVICE CENTER



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

दिनांक : 27.09.2025

स्थापना आदेश सं.:241 /2025

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/कोच्चि/निरीक्षक/99148)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2024'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.04.2025 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 24.04.2025 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/2 /2024-Ad.III.B अनुभाग सीबीईसी दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री ओमंशु त्रिपाठी को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 10.09.2025 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री ओमंशु त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री ओमंशु त्रिपाठी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो,

गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर ओए 1102/2025 के परिणाम के अधीन होगी।

6. यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

|| अनुप्रमाणित ||
साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
ज्येष्ठक / SUPERINTENDENT

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE DEPARTMENT - 682019

(रानी सी/आर)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री ओमंशु त्रिपाठी,

गाँव -पीदी ,डाकघर -दोहरी,

ब्लाक -दीह तहसील- सलोन

जिला -रायबरेली, उत्तर प्रदेश - 229310

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोळिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा/अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021

दिनांक Date: 08.07.2025

सतर्कता परिपत्र सं.03/2025 / VIGILANCE CIRCULAR NO. 03/2025

विषय :- सरकारी कर्मचारियों के किसी भी प्रकार की हड़ताल/कार्य बहिष्कार इत्यादि में भागीदारी-सीसीएस (आचरण) नियम- के संबंध में।- सम्बंधित ।

Sub:- Participation in any form of strike/ boycott of work etc.by Government servants-CCS (Conduct) Rules- Reg.

सभी अधिकारियों का ध्यान डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश, धीमी गति से चलना आदि या सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की हड़ताल को बढ़ावा देने वाली किसी भी कार्रवाई सहित किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेने से रोकते हैं।

Attention of all officers is invited to various instructions issued by DoPT from time to time which prohibit Government servants from participating in any form of strike including mass casual leave, go slow etc. or any action that abet any form of strike in violation of Rule 7 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

इस विभाग के सभी कर्मचारियों का ध्यान सख्त अनुपालन के लिए इस विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 33012/1(एस)/2008-स्था(बी) दिनांक 12.09.2008 (प्रति संलग्न) की ओर भी आकर्षित किया जाता है।


Attention of all employees of this Department is also drawn to DoPT O.M. No.33012/1(s)/2008-Estt(B) dated 12.09.2008 (copy enclosed) on the subject for strict compliance.

यह दोहराया जाता है कि अनुशासन और आचरण नियमों के उल्लंघन के किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस विषय पर प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

It is reiterated that any instances of violation of discipline and conduct Rules would be viewed seriously and action taken according to the provisions of the relevant rules on the subject.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


This is issued with the approval of the Competent Authority.


लक्ष्मी कुमारी सी
Lekshmi Kumari C

अधीक्षक (सत)
Superintendent (Vig)

सेवा में / To

- केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सीसीओ में कार्यालय अपर आयुक्त / सहायक आयुक्त
Additional Commissioner / Assistant Commissioner in CCO
- संयुक्त आयुक्त, मु., कोच्चि
Joint Commissioner in Hqrs., Kochi
- सभी उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय, कोच्चि
All Assistant Commissioner, Hqrs. Office, Kochi
[Prev.-PRO-Prosecution-Arrear Cell/Admn.-P&V-Sevottam/Tech-Stat-
Review/Adjn.-EDP-GST Cell/Legal-RTI-Training/Audit]
- उप /सहायक आयुक्त,
एर्णाकुलम /काक्कनाड/ आलुवा/ पेरुम्बावूर/ त्रिश्शूर/ इडुक्की/ चालक्कुडी मंडल
The Deputy/Assistant Commissioner, Kakkanad /Idukki / Aluva/
Thrissur/ Perumbavoor / Ernakulam/ Chalakkudy Division
- GS ,All India Association of Supdts of Central Tax,Kerala Unit
- GS ,All India Association of Insprs of Central Tax,Kerala Circle
- अधीक्षक (सिस्टम्स)- परिपत्र को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the official
website
- सूचना पट्ट / Notice Board


(रानी सी आर/RANI C.R.)
अपर आयुक्त[का व सत]
ADDITIONAL COMMISSIONER[P&V]



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cgstprokochi@gmail.com

Phone:- 0484-2390404

GEXCOM/HQR/EVNT/8/2024-HQRS-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

दिनांक :- ई-हस्ताक्षरित अनुसार/Date:- As e-signed

परिपत्र CIRCULAR

विषय:- 79 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह - 2025 - संबंधित

Sub:- 79th Independence Day Celebrations - 2025 - reg.

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर विभागों द्वारा संयुक्त रूप में 15 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि के कार्यालय में 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा ।

The 79th Independence Day will be celebrated on 15th August 2025 (Friday), by the Central Tax & Central Excise Department and the Income Tax Department jointly, at the Central Revenue Building, I.S. Press Road, Kochi.

श्री पीयूष जैन, भा.रा.से., प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल, प्रातः 09:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

Shri Peeyush Jain, I.R.S., Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, will hoist the National Flag at 09:00 hours.

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि, मुख्य आयुक्त कार्यालय, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, अपील आयुक्तालय, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्नाकुलम तथा काक्कानाड मंडलों और लेखा परीक्षा कोच्चि एवं पेरंबावूर सर्कल में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहें। सभी वर्दीधारी अधिकारी उचित वर्दी में 07:30 बजे उपस्थित हों।

All officers and staff members posted at Central Tax & Central Excise Headquarters

Office, Kochi, Chief Commissioner's Office, Audit Commissionerate Headquarters, Appeals Commissionerate, Central Tax & Central Excise, Ernakulam and Kakkanad Divisions, and Audit Kochi and Perumbavoor Circles should be present on the occasion without fail. All uniformed officers should be present in proper uniform at 07:30 hours.

स्वतंत्रता दिवस परेड का नेतृत्व श्री आदर्श के. दास, निरीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय द्वारा किया जाएगा।

The Independence Day Parade will be led by Shri Adarsh K.Das, Inspector, Audit Commissionerate.

इसे आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 12-08-2025

12:07:37

(रानी सी.आर. Rani C.R.)

अपर आयुक्त Additional Commissioner

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to:-

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, केरल, कोच्चि ।
The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Kochi.
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, कोच्चि
The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi.
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि
The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
5. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/मुख्य आयुक्त कार्यालय/ऑडिट, कोच्चि
The Additional Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Chief Commissioner's Office/Audit, Kochi.
6. संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / अपील आयुक्त कार्यालय

The Joint Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Appeals Commissionerate.

7. उप / सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि / मुख्य आयुक्त कार्यालय/अपील आयुक्त कार्यालय/लेखा परीक्षा आयुक्त कार्यालय/एर्नाकुलम एवं काक्कनाड मंडल/लेखा परीक्षा कोच्चि एवं परंबावूर सर्कल।
The Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise Headquarters Office, Kochi/Chief Commissioner's Office/Appeals Commissionerate/Audit Commissionerate/Ernakulam & Kakkanad Divisions/Audit Kochi & Perumbavoor Circles.
8. मु.ले.अ./प्र.ले.अ./सहा.नि.(रा.भा.)/प्रशासकीय अधिकारी (मुख्यालय), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CAO/PAO/AD (OL)/Administrative Officer (Hqrs.), Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. आवश्यक कार्रवाई के लिए अधीक्षक (जन.सं.अ.) / अभिरक्षक
The Superintendent (PRO)/Caretaker for necessary action.
10. आयकर अधिकारी (जन.सं.अ.), आयकर विभाग, कोच्चि
The Income Tax Officer (PRO), Income Tax, Kochi.
11. सहायक अभियंता (विद्युत), कोच्चि केंद्रीय विद्युत उप-प्रभाग-II, सीपीडब्ल्यूडी, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682018, आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध
The Assistant Engineer (E), Kochi Central Electrical Sub Division-II, CPWD, C.R.Building, I.S.Press Road, Kochi - 682 018 with a request for making necessary arrangements.
12. सूचना पट्ट/ नियंत्रण कक्ष
Notice Board/Control Room.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cgstprokochi@gmail.com

Phone:- 0484-2390404

GEXCOM/HQR/EVNT/8/2024-HQRS-O/o Pr COMM- CGST-KOCHI

दिनांक :- ई-हस्ताक्षरित अनुसार/Date:- As e-signed

परिपत्र CIRCULAR

विषय:- 79 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह - 2025 - संबंधित

Sub:- 79th Independence Day Celebrations - 2025 - reg.

दिनांक 15.08.2025 (शुक्रवार) को केंद्रीय राजस्व भवन में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस परेड में विधिवत् वर्दी में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों का चयन किया गया है। इन अधिकारियों को 12, 13 एवं 14 अगस्त 2025 को अपराह्न 16:00 बजे केंद्रीय राजस्व भवन में निर्धारित पूर्वाभ्यास में भी भाग लेना अनिवार्य है। पूर्वाभ्यास के लिए वर्दी पहनना आवश्यक नहीं है।

The following officers have been selected to be part of the Independence Day Parade on 15.08.2025 (Friday), at the Central Revenue Building, in proper uniform. They are also required to attend the rehearsals scheduled on the 12th, 13th, and 14th of August 2025, at 16:00 hours, at the C.R. Building. Wearing of uniform is not required for the rehearsals.

Sl.No.	Name of the Officer (Shri/Smt/S)	Designation	Place of posting
1	Ansiya Sameer	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
2	Anurag Vishwakarma	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
3	Linda Newin	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
4	Padmapriya M.M.	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
5	Mehta Dhaval Rajanikant	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
6	Anjana A.	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi

7	Yadu Krishna P.M.	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
8	Vivek A.Nair	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
9	Devika S.P.	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
10	Sanoopkumar N.	Inspector	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
11	Gajendra Kumar Meena	Inspector	Ernakulam Division
12	Shekhar Yadav	Inspector	Ernakulam Division
13	Sandeep Kumar Yadav	Inspector	Ernakulam Division
14	Rachana K.	Inspector	Ernakulam Division
15	Akash Sharma	Inspector	Ernakulam Division
16	Aman Upadhyay	Inspector	Ernakulam Division
17	Shraddha Barnwal	Inspector	Ernakulam Division
18	Gopika Krishnan	Inspector	Ernakulam Division
19	Nirmal Jose	Inspector	Kakkanad Division
20	Shahil	Inspector	Kakkanad Division
21	Akshay Jaryal	Inspector	Kakkanad Division
22	Vikash Nain	Inspector	Kakkanad Division
23	Sanadh S.	Inspector	Kakkanad Division
24	Sithun Prakash P.K.	Inspector	CCO-CCA
25	Rishabh Chauhan	Inspector	CCO-CCA
26	Neeraj Kumar Jhurawat	Inspector	Appeals Commissionerate
27	Devesh Kumar Singh	Inspector	Appeals Commissionerate
28	Ajay Raj Kumar	Inspector	Appeals Commissionerate
29	Rajanish Rai	Inspector	Appeals Commissionerate
30	Sumit Kumar Ranjan	Inspector	Appeals Commissionerate
31	Nandkishor Prajapat	Inspector	Audit Commissionerate
32	Ravi Yadav	Inspector	Audit Commissionerate
33	Samya Shit	Inspector	Audit Commissionerate
34	Ranjan Kumar	Inspector	Audit Commissionerate
35	Avi Gautham	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
36	Shalinee Mishra	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
37	Dipika Chowdhury	Inspector	Audit Circle-5, Perumbavur
38	Ajay Alex	Havaldar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
39	Akash T.	Havaldar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
40	Alkesh Raj T.V.	Havaldar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
41	Anurag V.V.	Havaldar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
42	Gokul S.S.	Havaldar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi

43	Harikrishnan S.	Havaladar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
44	Nirenjan S.	Havaladar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
45	Nitin Kumar	Havaladar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
46	Pushpendra Kumar Mishra	Havaladar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
47	Rapinder Singh	Havaladar	Central Tax & Central Excise Hqrs. Office, Kochi
48	Saurabh Shashank Tirkey	Havaladar	Appeals Commissionerate
49	Vikash Singh	Havaladar	Audit Commissionerate
50	Satyaki Chatterjee	Havaladar	Audit Commissionerate
51	Rama Krishna Mekala	Havaladar	CCO-CCA
52	Sajith C.S.	Havaladar	CCO-CCA
53	Nilesh Ranjan	Havaladar	Ernakulam Division
54	Roopendra Singh	Havaladar	Ernakulam Division
55	Abin Sabu	Havaladar	Kakkanad Division

पूर्वाभ्यास का संयोजन और पर्यवेक्षण श्री रंजित शांतकुमार, उप आयुक्त एवं श्री के. एम. बिनू, अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

The rehearsals will be coordinated and supervised by Shri Ranjit Santakumar, Deputy Commissioner, and Shri K.M. Binu, Superintendent.

मंडल अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन न करने पर गंभीरता से देखा जाएगा।

The Division/Section Heads are to ensure the participation of the officers under their charge. Non-compliance in this regard will be viewed seriously.

इसे आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 12-08-2025

12:03:41

(रानी सी.आर. Rani C.R.)

अपर आयुक्त Additional Commissioner

प्रति/ To

संबंधित व्यक्तियों को/The Individuals

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to:-

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, कोच्चि

**The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone, Kochi.**

2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि
The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि
The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
4. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/मुख्य आयुक्त कार्यालय/लेखा परीक्षा, कोच्चि
**The Additional Commissioner of Central Tax & Central Excise,
Kochi/Chief Commissioner's Office/Audit, Kochi.**
5. संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/अपील आयुक्त कार्यालय
**The Joint Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Appeals
Commissionerate.**
6. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि/मुख्य आयुक्त कार्यालय/अपील आयुक्त कार्यालय/लेखा परीक्षा आयुक्त कार्यालय/एर्नाकुलम एवं कक्कनाड मंडल/लेखा परीक्षा कोच्चि एवं पेरुंबावूर सर्कल।
**The Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise
Headquarters Office, Kochi/Chief Commissioner's Office/Appeals
Commissionerate/Audit Commissionerate/Ernakulam & Kakkannad
Divisions/Audit Kochi & Perumbavoor Circles.**
7. मु.ले.अ./प्र.ले.अ. /सहा.नि. (रा.भा.)/प्रशासकीय अधिकारी (मुख्यालय), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
**CAO/PAO/AD (OL)/Administrative Officer (Hqrs.), Central Tax & Central
Excise, Kochi.**
8. सूचना पट्ट
Notice Board.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 189 /2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (Shri./Smt./Ms.)	Date of Birth	From	To
1.	Ankit Rathore	02.10.1995	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
2.	Sapavath Nadham	05.07.2001	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
3.	Vishwajeet Kumar	30.03.2001	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4.	Mohit Bhaskar	23.12.1996	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
5.	Rishabh Chauhan	01.12.2002	CGLE 2024 New Recruit	CCO-CCA
6.	Praveen Cambil	09.05.1995	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7.	Shraddha Barnwal	16.07.1997	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

Recd
 6-7-2025
 about

8.	Sanadh S	27.01.1998	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
9.	Albin Joseph	16.11.1994	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10.	Arpit Dubey	15.07.2003	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11.	Somnath Das	06.03.1996	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
12.	Vishal Kumar Verma	18.09.1998	CGLE 2024 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
13.	Anant Singh	15.08.2001	CGLE 2024 New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The officers are to be relieved from their present place of posting immediately.
3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.
4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 04-07-2025
17:28:44

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)


Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

Copy to:

1. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Custom Preventive, Kochi.
3. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Custom Preventive/Audit, Kochi.
4. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ / Thiruvananthapuram / Custom Preventive/ Audit, Kochi.
5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
6. Hindi Cell – for Hindi Version.





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 190/2025

Sub: Posting in the grade of Havaldar – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following posting in the grade of Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl No	Name (Ms.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Sameena Shameer V.V	07.02.2000	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate

- The officer should join new place of posting immediately.
- This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

- The controlling officer are to report compliance by 04.07.2025.
- Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 03-07-2025
18:08:33

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Superintendent (Systems/ Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 191/2025

Sub: Posting in the grade of Multi-Tasking Staff – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following posting in the grade of Multi-Tasking Staff is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	KM Saraswati Sharma	28.12.1997	On Joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2. The officer should join new place of posting immediately.
3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
4. The controlling officer are to report compliance by 04.07.2025.
5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 03-07-2025
17:14:02

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Red
3-7-2025

Pone

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Audit, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 192/2025

Sub: Postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Rejeesh R.	27.05.1983	On Joining	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
2.	Pradeepkumar V.	02.05.1985	On Joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3.	Sreejit Kumar	13.03.1986	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
4.	Dipak Boro	01.07.2000	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
5.	Manu Mohan	12.03.1990	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

Rcd
5/7/2025

done

3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 04-07-2025
17:26:17

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit/Kozhikode/Thiruvananthapuram.

Copy to:

1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 193/2025

Sub: Transfer and posting in the grade of Private Secretary – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Private Secretary is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Jagadeesh Pillai	15.05.1972	On promotion	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The above order should be complied with latest by 11.07.2025 and the compliance report should reach this office by 15.07.2025.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by
 Rani C R
 Date: 03-07-2025
 17:04:21

[Rani C.R.]
 Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Page 1 of 2

Red
3/7/2025
done

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Thiruvananthapuram/CCP.**
2. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT

Date: As E-signed

ORDER NO. 195/2025

Sub: Postings in the grade of Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following postings in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Anurag V V, Havaldar	30.08.2003	UoT to Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi
2	Roopendra Singh, Havaldar	03.07.1994	UoT to Kochi Commissionerate	Ernakulam Division

2. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by

Maya Kurian

Date: 11-07-2025

17:19:21

[Maya Kurian]

Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Rcd
11-07-2025
Done

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division.
4. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
5. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.
6. Official Language Section - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 196/2025

Sub: Postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Shakti Singh Meena	10.07.2000	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division
2.	Sreejit Kumar	13.03.1986	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Expenditure) Section, Hqrs Kochi
3.	Manu Mohan	12.03.1990	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Establishment Section, Hqrs Kochi

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Digitally signed by
 Rani C R
 Date: 11-07-2025
 16:16:10

[Rani C.R.]
 Additional Commissioner [P&V]

Rid
11/7/2025
Donu

To
The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.**
- 2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 3. The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 4. The Superintendent (Systems/Vigilance/Headquarters/Admn), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 197/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/99140)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, communicated after the Rozgar Mela held on 26.04.2025, **Shri. Albin Joseph**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **24.06.2025 (F.N)**.

2. Shri. Albin Joseph, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Albin Joseph** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Page 1 of 2

1

Rcd
17/7/2025
done

4. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.
5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
10:10:06

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Albin Joseph
Ettackakunnel House
Kalathookadavu PO
Kottayam Kerala 686579

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 198/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/99167)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, communicated after the Rozgar Mela held on 26.04.2025, **Shri. Anant Singh**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **30.06.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Anant Singh**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Anant Singh** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Page 1 of 2

1

Recd
17-07-2025
Done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
10:08:37 [Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Anant Singh,
House No 1/71/1B
Kalinagar Sahadatganj
Faizabad Uttar Pradesh 224001**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.

Page 2 of 2

2



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 199/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/99149)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, communicated after the Rozgar Mela held on 26.04.2025, **Shri. Arpit Dubey**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.06.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Arpit Dubey**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Arpit Dubey** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Red
17-07-2025
done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).
5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.
6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
10:10:47 [Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Arpit Dubey,
Village- Majhil Gaon
Post Office- Jajupur
Basti Uttar Pradesh 272127**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Page 2 of 2

2



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 200/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/102017)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 16.05.2025, **Shri. Vishal Kumar Verma**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **27.06.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Vishal Kumar Verma**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Vishal Kumar Verma** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 17-07-2025

10:12:00

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Vishal Kumar Verma,
Abidpur Maniki Modinagar
Ghaziabad Uttar Pradesh 201204**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 201/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/102554)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 30.05.2025, **Shri. Somnath Das**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.06.2025 (A.N)**.

2. **Shri. Somnath Das**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Somnath Das** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Recd
17/07/2025
done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
10:12:48

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Somnath Das,
Chinakuri Radhanagar Railway Colony PO
Radhanagar Railway Colony PS Kulti
Paschim Bardhaman West Bengal 713372**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 202/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/102943)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 08.07.2025, **Shri. Vansh Setia**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.07.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Vansh Setia**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Vansh Setia** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd
17/07/2025
done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 17-07-2025

10:13:49

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Vansh Setia,
64 C Block
Near Nehru Park Sri Karanpur
Sri Ganganagar Rajasthan 335073**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 204/2025
Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officers of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against their names.

SlNo.	Name (S/ Shri./ Smt.)	Date of Birth	Date of Confirmation
1	Balagopal B	24.01.1993	28.10.2024
2	Jinu MR	1.10.1993	07.11.2024
3	Dileep M	22.03.1990	17.11.2024
4	Mariam Lisa John	09.01.1998	16.11.2024
5	Sabin Eapen Adichithra	27.09.1995	25.10.2024
6	Nithin Joseph	05.09.1995	25.10.2024
7	Nikhil S Babu	03.09.1994	28.10.2024
8	Roshan Thomas George	10.08.1991	10.11.2024
9	Krishna S	06.06.1995	26.10.2024
10	Mohammed Musthafa Rasheed AK	11.08.1994	10.11.2024
11	Ashok P	29.05.1996	26.10.2024

Red
17/11/2025

12	Denny George	16.03.1995	26.10.2024
13	Ajith Krishnan VS	09.08.1994	10.11.2024
14	Nibin KN	09.04.1996	02.11.2024
15	Abhijith KS	06.10.1995	27.10.2024
16	Anil S Kumar	08.02.1990	28.10.2024
17	Vinay Kumar V	28.01.1990	25.10.2024
18	Chetan Sharma	16.02.1995	25.10.2024
19	Aswanth Raj	19.10.1993	25.10.2024
20	Praduman Singh	25.09.1998	25.10.2024
21	Sanjay	20.02.1998	25.10.2024
22	Dinesh Kumar Meena	01.03.1995	11.11.2024
23	Dinesh Kumar Meena (No. II)	05.05.1996	22.11.2024

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individuals.
3. This is issued with the approval of the Principal Commissioner.
4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
14:29:59

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Appeals/ Audit (Kochi).**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin**

Copy to:

1. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of All Divisions, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 203/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/102944)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 08.07.2025, **Shri. Anoop A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.07.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Anoop A**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Anoop A** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Recd
17/07/2025
done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 17-07-2025

10:14:28

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Anoop A,
Charuvila Puthen Veedu
Veliyam, Veliyam Po
Kollam, Kerala - 691540**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit/Appeals, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.

Page 2 of 2

2



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

Date: As e-signed

ORDER No. 205 /2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl.No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth	Remarks
1.	Rakesh Sangwan	02.09.1985	in officiating capacity
2.	Sandeep Kumar	15.08.1983	in officiating capacity
3.	Adityan A M	20.01.1967	in officiating capacity
4.	Revikumar E	19.05.1967	in officiating capacity
5.	Ved Prakash (HH)	05.12.1991	to join on or after 06.08.2025

2. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in Courts/Tribunals concerned.

Recd
17/07/2025
done

3. The officers at Sl. Nos. 1 to 4 are promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until their juniors are promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officers will be considered to be in officiating capacity. A total of four officers of unreserved category who are junior most in seniority will be in officiating basis at all times until further orders.
4. The officer at Sl. No. 5 shall assume charge on or after 06.08.2025 on completion of his debarment period and the promotion granted to the officer vide Order No. 80/2025 dated 29.05.2025 stands withdrawn. The others can assume the charge immediately and not later than 28.07.2025.
5. The compliance report about joining/non-joining of the officers (at Sl Nos 1 to 4) should be sent to this office by 31.07.2025
6. This is issued with the approval of the Principal Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
18:34:16

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Conf/Vig.), Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-Estt

ORDER No. 206/2025

Sub: Regularisation of promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

The Review DPC meeting held on 09.07.2025 reviewed the DPCs conducted during the period from 2020 to 2025 for promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group B Post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post (except those who have been granted notional promotion) and recommended the following officers as promoted on regular basis in the grade of Superintendent of Central Tax and Central Excise.

Sl. No.	Name of the Officer (S./Shri./Smt.)	D.O.B	Order No. & Date
1	ARUL RAJ A.V.	04.04.1969	28/2021 dt. 01.03.2021
2	JAYASREE G. NAIR	16.11.1972	
3	KURIAN MATHEW	14.11.1971	
4	SUNNY THOMAS	12.04.1973	
5	SHYNE M.STEPHEN	03.03.1975	
6	SURAJ KUMAR P.	16.05.1976	
7	REJI JOHN	30.05.1972	
8	SAURAB KUMAR (SC)	20.05.1988	
9	SHIVANI (SC)	05.10.1990	
10	VELLURI NARASIMHA NAIK (SC)	06.04.1989	
11	AMIT BHARTI (SC)	16.01.1981	
12	SUMIT KUMAR (SC)	09.09.1990	
13	VINAY (SC)	28.09.1988	
14	ASHISH KUMAR MEENA (ST)	09.04.1989	

Recd
21/07/2025
done

15	GLADIS JOHN (ST)	17.09.1979	
16	JOSHUA K.I (ST)	03.04.1966	
17	DEEPAK PANDAR (SC)	26.06.1989	
18	PARDEEP TANWAR (SC)	10.03.1987	
19	SWAPNA V.M. (SC)	24.04.1980	
20	RABINDRA KUMAR (SC)	17.08.1981	
21	LEKSHMI KUMARI C	01.06.1975	
22	JOSEPH JOHN	25.04.1974	
23	HARIKUTTAN G.	14.05.1983	
24	NIKHIL T.S.	19.07.1983	38/2021 dt.
25	ABHILASH C.	27.11.1983	31.03.2021
26	GOPIPRASANTH J.S.	17.05.1982	
27	DHANYA NARAYANAN M.	12.08.1980	
28	ALBERT GEORGE	01.02.1982	39/2021 dt.
29	SANDEEP UNNIKRISHNAN	04.12.1981	28.04.2021
30	SOUMYA P.	29.01.1981	
31	SAHEERUDHEEN N.	31.05.1982	
32	ABHILASH KUMAR K.	20.05.1980	
33	KAUSTUBH KUMAR	18.10.1978	
34	SHAHANA M.	02.03.1980	43/2021 dt.
35	NIKHIL MOHAN	26.05.1982	28.05.2021
36	ABRAHAM KOSHY T.	28.03.1982	
37	RENJINI P.S.	31.05.1971	
38	PRABODH S.	02.05.1987	
39	SREEVIDHYA SUDHEER	27.12.1974	45/2021 dt.
40	VISAKH D.	23.11.1983	29.06.2021
41	JISHNU A.G.	02.02.1988	
42	JAYAN K.G.	12.04.1978	
43	SENTHIL KUMAR M.	14.09.1975	
44	JINCY M.P.	25.05.1983	
45	VINAYA C.R.	08.05.1975	87/2021 dt.
46	MEGHA R.	27.05.1984	22.10.2021
47	DEEPESH G.	25.04.1984	
48	PRAKASHAN K.	19.03.1970	
49	JACKSON JOSEPH	09.09.1979	90/2021 dt.
			01.11.2021
50	SHREE BABU (OH)	06.04.1985	127/2024 dt.
			04.06.2024
51	JAYANTHA BISWAS (SC)	05.02.1975	52/2022 dt.
			31.05.2022
52	AKHIL T K (SC)	17.04.1991	
53	T SESHU VENKATA KANTH (SC)	06.03.1990	
54	MANISH KUMAR KHATANA (SC)	19.12.1992	127/2022 dt.
55	S PRANAY (SC)	09.03.1988	30.12.2022
56	JACOB JOSEPH (ST)	02.06.1986	
57	POTHURAJU SIVA PRASAD (ST)	23.05.1990	
58	REENA M.	15.03.1972	22/2022 dt.

59	PRIYA K.M.	17.03.1979	02.02.2022
60	NISHA JAYARAJAN	08.03.1976	27/2022 dt. 28.02.2022
61	AZEEB CHENNATH	22.03.1980	
62	RAJEEV R.C.	23.04.1980	
63	SUDHEER KUMAR K.	29.04.1972	
64	SREEJITH V.	01.08.1982	37/2022 dt. 30.03.2022
65	KUMARI GEETHA V.	01.05.1967	
66	STALIN J.	25.05.1966	
67	DINESH M.	21.12.1972	47/2022 dt.
68	RESMI R.	20.05.1970	28.04.2022
69	ASHA GIRI	21.05.1974	52/2022 dt.
70	RAMACHANDRAN M.K.	01.05.1967	31.05.2022
71	SHAJANA KHURAISHI M.S	28.05.1974	68/2022 dt.
72	MOHAN JOSEPH	25.05.1968	04.08.2022
73	SUNIL KUMAR K.	31.05.1971	127/2022 dt. 30.12.2022
74	BEENA A.	06.04.1972	
75	ARUN R.	21.12.1985	
76	ARUN KUMAR A. VIJAYAN	21.08.1986	
77	KAVITHA L.	21.11.1972	
78	BHASKARNATH	05.08.1987	
79	KAPIL DEV SURIRA	16.04.1983	
80	SEENA A. MALETH	09.01.1973	
81	MINIMOL T.	03.05.1971	
82	SHINOJ P	17.04.1982	
83	SHANIMA A R	30.05.1989	
84	MANIKANTAN V	15.05.1973	
85	SUBHA H S	21.05.1972	
86	WILLIAMS M A	08.03.1973	
87	MANOJ KUMAR YADAV	04.07.1982	
88	HARIPRASAD A K	01.06.1972	
89	DILIP KUMAR	01.03.1980	
90	VIKRAMADITYA KUMAR	17.10.1982	
91	JINESH K	07.11.1974	
92	RAKHI NAIR	12.06.1976	
93	RAJESH KUMAR	31.12.1980	
94	VIRENDRA KUMAR	01.10.1979	
95	AJITHA KUMARI K S	30.05.1973	
96	ASHOK KUMAR	08.09.1980	
97	MIRAJ K K	20.05.1972	
98	NAVEEN KUMAR	04.10.1986	
99	SHIBU V L	25.05.1975	
100	LJIN J KAMAL	20.04.1980	18/2023 dt. 01.02.2023
101	SANTHOSH T.S.	20.05.1980	67/2023 dt. 22.06.2023
102	PRIYA K.K.	11.12.1979	
103	RAJKUMAR C.K.	15.05.1974	

104	BINDU REJIT	14.05.1974	
105	PRAKASHAN.V	25.03.1968	
106	MANJU KRISHNADAS	13.12.1986	
107	GULSHAN KUMAR	08.11.1985	
108	PRAFULL BHANDARI	28.03.1991	
109	SAKET SINGH DHILLON	03.11.1984	
110	BADAL GAFFOOR A.	12.05.1986	
111	GEETIKA CHIB	19.03.1984	231/2023 dt. 29.12.2023
112	ARAVIND KUMAR KAJLA	19.08.1985	77/2023 dt. 26.07.2023
113	DEEPAK KUMAR (SC)	03.10.1993	
114	DORASALA JAGDEESH KUMAR REDDY (OH)	17.11.1986	127/2024 dt. 04.06.2024
115	K M MANEESH (SC)	16.02.1991	
116	SANDEEP SINGH (SC)	21.03.1996	
117	VIKRANT KUMAR VERMA (SC)	09.02.1993	
118	KRISHNA KANT RANGOLIYA (SC)	29.06.1992	77/2023 dt. 26.07.2023
119	PANKAJ VARUN (SC)	20.09.1992	
120	RAJ KHUNGUR BASUMATARY (ST)	27.12.1986	
121	NEHA MEENA (ST)	19.09.1996	
122	RAMSAGAR MEENA (ST)	08.07.1996	
123	DIBIN BABU K JOHNSON K GEORGE (OH)	25.04.1989	127/2024 dt. 04.06.2024
124	RAMJAN KHAN (OH)	07.08.1991	127/2024 dt. 04.06.2024
125	MRIDUL KUMAR SINGH	22.06.1985	
126	SUDHIR DABAS	26.05.1984	
127	ARVIND GULIA	24.10.1986	
128	GAUTAM KUMAR	01.01.1986	218/2023 dt. 04.12.2023
129	RAJNEESH	20.03.1983	
130	PANKAJ	07.02.1986	
131	SANTOSH RAWAT	15.07.1984	
132	KAMAL KUMAR	13.10.1988	
133	SHATRUGHAN KUMAR	02.01.1989	180/2024 dt. 29.11.2024
134	VIRESH MISHRA	04.09.1985	
135	ABHIJEET SINGH	14.10.1987	
136	RITESH MANDAY	03.06.1985	
137	ASHA	17.11.1985	
138	BALESHWAR KUMAR JHA	02.06.1979	218/2023 dt. 04.12.2023
139	CHETAN GUPTA	05.11.1984	
140	RAMLAL	11.10.1986	
141	ANANT VIKRAM SINGH	20.04.1986	
142	VIVEK KUMAR TRIVEDI	01.12.1989	
143	RAVI KUMAR	28.05.1988	
144	SHASIKANT SINGH	02.10.1982	

145	SANJEEV KUMAR	03.08.1989	172/2024 dt. 15.10.2024
146	SHYAM KUMAR SHARMA	10.03.1984	218/2023 dt. 04.12.2023
147	PARIVESH KUMAR SWAMI	23.01.1986	
148	GAURAV VATS	31.12.1989	
149	SUDHEER KHAN J	02.04.1973	
150	SIVAKUMAR V. K.	09.03.1987	
151	NEETA SUKUMARAN	02.07.1975	
152	MANEESH K. R.	14.07.1989	
153	SILEESH P. M.	05.02.1987	
154	AMAN GROVER	30.01.1987	
155	VINU R	05.03.1975	
156	ABHINAV SINGH BISHT	02.08.1985	
157	ASHOK KUMAR	31.12.1985	128/2024 dt. 04.06.2024
158	HAMEED K.K.	10.04.1974	239/2023 dt. 29.12.2023
159	BHUPAL KUMAR	12.02.1987	
160	SANDEEP NAIN	21.05.1985	128/2024 dt. 04.06.2024
161	SALIM KUMAR S.	20.05.1969	
162	DINESH KUMAR	20.11.1989	
163	AKSHAY SINGH BHADAURIA	26.10.1990	
164	POOJA GUPTA	06.12.1985	150/2024 dt. 14.07.2024
165	SUJATHA VIJAYAN	09.11.1977	128/2024 dt. 04.06.2024
166	ARJUN KRISHNA	03.02.1988	
167	KAPIL GARG	25.06.1990	
168	SONU KUMAR	04.06.1988	
169	MALLAJEET SONOWAL (ST)	26.12.1983	190/2024 dt. 30.12.2024
170	ANURADHA KUMARI	19.03.1986	4/2025 dt. 31.01.2025
171	PARDEEP KUMAR	20.03.1991	06/2025 dt. 04.03.2025
172	AJEET KUMAR GUPTA	07.09.1990	
173	AJEET SINGH CHOUDHARY	17.08.1988	80/2025 dt. 29.05.2025
174	DEEPAK	15.03.1990	
175	ALOK KUMAR SONI	23.07.1987	
176	SANDEEP KUMAR	07.11.1989	
177	SINI BRIGIT THOMAS	11.07.1973	
178	JAYDEEP C	17.02.1975	
179	SANDEEP KUMAR (SC)	04.04.1990	
180	VIJAYA LAKSHMAN BORADE (SC)	23.08.1986	
181	BHAWENSH AZAD (SC)	08.08.1996	
182	KANHAIYA KUMAR (ST)	10.09.1993	
183	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY (ST)	25.03.1985	

2. The officers at Sl. No 51 to 57 are notionally promoted to the cadre of Superintendent on regular basis with effect from 22.10.2021, the date of promotion of their immediate senior, Shri Shree Babu. The officer at Sl. No. 145, Shri Sanjeev Kumar is notionally promoted with effect from 04.12.2023 and the officer at Sl. No. 164 Smt. Pooja Gupta is notionally promoted with effect from 04.06.2024, the date of her immediate junior Smt. Sujatha Vijayan. However the officers shall not be eligible to draw the arrears of pay with effect from the date of notional promotion to the date of assumption of charge in the higher grade.

3. The promotions are subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. The above officers will have to exercise the option for pay fixation in terms Department of Personnel & Trainings O.M. dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. The option once exercised shall be final.

5. This is issued with the approval of Principal Commissioner.

6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 21-07-2025
15:45:35

[Rani C. R.]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/Thiruvananthapuram.**
- 3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
- 4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
- 5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**

Copies to:

1. All Dy./ Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Deputy/Asst. Commissioner in Kozhikode/Custom Preventive/ Thiruvananthapuram.
3. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit/CCP.
4. The Administrative Officer (DDO), Superintendent Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
5. The Superintendent (EDP) - for uploading in website.
6. Hindi Cell - for Hindi Version.





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 207/2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (Shri./Smt./Ms.)	Date of Birth	From	To
1	Sapavath Nadham	05.07.2001	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Aluva Division
2	Shraddha Barnwal	16.07.1997	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam IV Range
3	Sanadh S	27.01.1998	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division
4	Albin Joseph	16.11.1994	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	PRO Section, Hqrs Kochi
5	Arpit Dubey	15.07.2003	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kolenchery Range
6	Nixon K A	11.11.1969	Aluva Division	Irinjalakkuda Range
7	Vikash Nain	09.11.1991	Kolenchery Range	Kakkanad Division
8	Sandeep Kumar Yadav	01.07.1998	Munnar Range	Ernakulam Division
9	Khyati Arya	25.06.1994	Ernakulam Division	Review Section, Hqrs Kochi

Rcd
17/7/2025
done.

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers, except the new recruits, are to be relieved from their present place of posting by **28.07.2025**. The new recruits are to join immediately on their relief. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. The officer at Sl. No 8 who is attending Induction Training at NACIN Kochi can join his new place of posting on completion of his training

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

6. The controlling officers are to report compliance by **30.07.2025**.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-07-2025
18:42:41

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To: **The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)**

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 208/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/96358)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Arun Kumar K V**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **UR/ESM category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **16.07.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Arun Kumar K V** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

Rcd
 22-07-2025
 done

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-07-2025
15:37:12

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Arun Kumar K V
S/O K Venugopalan Nair,
Nivedhyam Kunnumpara
Ooruttambalam P O,
Thiruvananthapuram, Kerala-695507.**

Copy submitted to:


1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

- 3. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 209/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/96163)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Amal Krishnan K P**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **17.07.2025 (F.N)**.

2. Shri. Amal Krishnan K P is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

Recd
22-07-2025
done

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-07-2025
15:04:38

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Amal Krishnan K P
S/O Balakrishnan M V,
Sreyas Kattiam Aroli Po,
Kannur, Kerala-670561.**

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

- 3. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 210/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/96158)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Nevin B Jacob**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **22.07.2025 (F.N)**.

2. Shri. Nevin B Jacob is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo

Recd.
 22-07-2025
 down

mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-07-2025
15:31:08

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Nevin B Jacob
S/O Biju KC,
Kochuveetil H, Cherukad PO, Koorachundu,
Kozhikode, Kerala-673527.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 211/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/96159)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Srubin Suresh**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **UR category** (belongs to **OBC category** and selected under **UR category**), is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **22.07.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Srubin Suresh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

Recd
 22-07-2025
 down

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-07-2025
15:10:46

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Srubin Suresh
S/O Suresh VT,
Vellamkuzhiyil Kuttimoola
Manathavady Po Wayanad,
Kerala-670645.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 212/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/96401)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Suresh Kumar K R**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **UR/ESM category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **22.07.2025 (F.N)**.

2. Shri. Suresh Kumar K R is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

Rcd
 22-07-2025
dow

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-07-2025
15:06:54

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Suresh Kumar K R
S/O Ravindran Nair G,
Vinayakam House Thycattussery
P O Cherthala, Alappuzha,
Kerala-688528.**

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

- 3. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 213/2025

Sub: Transfer and Postings in the grades of Havaldar, Head Havaldar and Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Havaldar, Head Havaldar and Multi-Tasking Staff are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Ms.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Ajitha V.P., Havaldar	06.05.1969	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
2.	Veena M. J., Havaldar	20.09.1996	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
3.	Rugmani C., Havaldar	15.05.1967	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
4.	Surendran E.T, Head Havaldar	10.04.1971	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
5.	Jishnu K., Havaldar	04.05.1998	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

Recd
12-05-2025
dom

6.	Deepak Kumar K.K., Head Havaldar	15.04.1970	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
7.	Rema L., Havaldar	11.05.1967	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
8.	Santhosh S., Havaldar	25.05.1984	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
9.	Antony J., Head Havaldar	24.03.1970	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
10.	Balu K., Head Havaldar	12.05.1970	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
11	Anurag V V, Havaldar	30.08.2003	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
12	D. Chandran, Havaldar	19.03.1967	On Joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
13	Nevin B Jacob, Havaldar	29.12.1999	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
14	Suresh Kumar K.R., Havaldar	05.05.1975	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
15	Amal Krishnan K.P., Havaldar	29.09.2001	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
16	Srubin Suresh, Havaldar	19.05.1998	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
17	Arun Kumar K.V., Havaldar	25.05.1985	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
18	R Anil Kumar, Havaldar	15.03.1977	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate

19	Babu N, Havaladar	28.05.1976	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
20	Deependra Singh Tomar, Multi-Tasking Staff	10.08.1997	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. The posting to Air Customs formations are **subject to vigilance clearance of the officers as on date**. Before relieving the officers to the respective formations [i.e., Airport], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airports are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers, except the new recruits, are to be relieved from their present place of posting by **22.08.2025** and to join their new place of posting latest by **27.08.2025**. The new recruits are to join immediately on their relief. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officers are to report compliance by 29.08.2025.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 12-08-2025
13:26:55

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**

5. The Commissioner of Customs, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.

Copy to:

1. All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
2. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
4. The Superintendent (Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
5. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 214/2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Vansh Setia	26.06.2003	CGLE 2024 – New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2	Anoop A	09.07.1999	CGLE 2024 – New Recruit	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3	Mohamed Faisal E	25.05.1970	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer, except the new recruits, is to be relieved from his present place of posting by **08.08.2025**. The new

Rcd
30-07-2025
done

recruits are to join immediately on their relief. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.
4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
5. The controlling officers are to report compliance by **11.08.2025**.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 30-07-2025

19:00:45

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To:



The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Dy./Asstt. Commissioner in Kozhikode/ Custom Preventive, Kochi.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Kozhikode/ Custom Preventive, Kochi.**
4. **The Assistant Director (OL), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi - for Hindi Version.**
5. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi / Kozhikode / Custom Preventive.**
6. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2025-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 215/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/
 Kochi/MULTI TASKING STAFF/96409)

Sub: Appointment to the grade of Multi-Tasking Staff, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaladar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Deependra Singh Tomar**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Multi-Tasking Staff **under EWS category**, is appointed as Multi-Tasking Staff in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,000) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **25.07.2025 (F.N.)**.

2. **Shri. Deependra Singh Tomar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to

Red
 25-07-2025
done

undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 25-07-2025
17:20:56

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Deependra Singh Tomar
S/O Rajveer Singh Tomar,
Pakka Bagh Tiraha
Dakshin Gali Kedar Bhawan,
Etawah, Uttar Pradesh-206001.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

F.No: II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

Date : As e-signed

ORDER No. 216/2025

Sub: Proforma Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise, who is presently working on deputation has been granted Proforma Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from 29.05.2025 i.e., date of order of promotion.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Present Place of Posting	Time limit within which the officer should re-join the parent cadre
1.	Alok Kumar Soni	DGGI, Rourkela Regional Unit	31.01.2027

2. The above mentioned officer working on deputation may continue to work at the lower post in the borrowing organisation with his seniority and pay in Superintendent cadre protected in parent cadre.

3. The effective date of promotion for the purpose of seniority shall remain the date of order of promotion (i.e. 29.05.2025).

4. No further extension of deputation period, beyond what is approved, shall be allowed for above mentioned officer opting for proforma promotion.

5. If the officer does not accept proforma promotion or does not return to accept regular promotion, it shall be deemed that the officer has refused promotion.

Red
31-07-2025
done

6. This order is issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 31-07-2025
18:09:55

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Deputy Director, Directorate General of GST Intelligence, Rourkela Regional Unit, Town Engineering Office Campus, Project Building, Sector – 5, Rourkela – 769002**
2. **The Assistant Director, Directorate General of GST Intelligence, Bhubaneswar Zonal Unit, Plot No – 27, Shaheed Nagar, Bhubaneswar - 751007**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 217 /2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In view of promotions and completion of tenure of officers at SEZs, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise in Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri/Smt)	Date of Birth	From	To
1	Baiju R	23.04.1971	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	ETP – 1 SEZ, Trivandrum
2	Beeja Murali R	30.05.1972	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	KSITIL SEZ, Kollam
3	Manoj R	13.05.1970	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kozhikode	ULCCS SEZ, Kozhikode
4	Muhammed Ashraf S.V.	01.01.1973	ULCCS SEZ, Kozhikode	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kozhikode

Rad
04-08-2025
done

5	T. R. Krishnakumar	13.05.1968	KSITIL SEZ, Kollam	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
6	S. Seetha Raman	06.03.1968	ETP-1 SEZ, Trivandrum	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	Rakesh Sanghwan	02.09.1985	On Promotion	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
8	Sandeep Kumar	05.08.1983	On Promotion	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi
9	Adityan A M	20.01.1967	On Promotion	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
10	Revikumar E	19.05.1967	On Promotion	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi
11	Ved Prakash	05.12.1991	On Promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
12	Viresh Mishra	04.09.1985	UoT to (Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Retained at Central Tax and Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	Bhawmesh Azad	08.08.1996	Vandiperiyar Range, Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The officers at Sl. No. 1 to 3 are posted to SEZs for a period of 2 years from the date of joining their respective SEZs. They are directed to report to the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Kochi.

3. The officer at Sl. No. 11, Shri. Ved Prakash, who was granted promotion vide Order No. 80/2025 dated 29.05.2025, his promotion was withdrawn and hence, his transfer vide Order No. 110/2025 dated 30.05.2025 stands cancelled.

4. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **11.08.2025** (except officer at Sl. No. 11 who is being promoted on or after 06.08.2025 who may be relieved within 10 days of assuming charge). Supervisory officers will be held responsible if the officers are not relieved within the stipulated time. The controlling

officers are to report compliance by **13.08.2025**.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

6. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 04-08-2025
18:16:57

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone (CSEZ), Kakkanad, Kochi – with a request to forward joining/relief reports of the officers.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 218/2025

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Abhishek Pandey	30.04.1999	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax and Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi. {Attached to Commissioner Appeals (Customs)}.

2. Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to be relieved from his present place of posting by 08.08.2025 and to join his new place of posting latest by 11.08.2025. Controlling officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

Recd
06-08-2025
done

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
5. The controlling officer is to report compliance by 14.08.2025.
6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 06-08-2025
10:31:43

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Appeals, Kochi.**
4. **The Commissioner Customs, Custom House, Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Appeals.**
2. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

Date: As e-signed

ORDER NO: 219/2025

**Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Superintendent –
 Reg.**

The following Superintendent has been granted non - functional upgradation in GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of joining as Superintendent.

Sl.No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent on Promotion	Date of Granting NFU
1	MURALI P	18.12.2020	18.12.2024

The officer will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

Digitally signed by
 Rani C R
 Date: 07-08-2025
 18:32:05

[Rani C R]
 Additional Commissioner (P&V)

*Recd
 7/8/2025
 done*

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

1. **The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
3. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Thrissur Division.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/32/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 220/2025

Sub: Notional promotion to the grade of Head Havaldar – Reg.

The Review DPC meeting held on 05.08.2025 reviewed the proceedings of the Annual DPC meeting held on 22.12.2021 for granting notional promotion to the cadre of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise for the vacancy year 2021 by virtue of relaxation in qualifying service granted by DOP&T OM AB-14017/17/2018-Estt. RR dated 12.08.2021 read with O.M. No. 22011/4/2013-Estt (D) dated 08.05.2017 and approval of the competent authority conveyed vide Board's letter F. No. 32018/22/2021-Ad.III.A dated 28.04.2022 and 29.12.2022.

2. As per the findings of the aforesaid Review DPC, the following officers are hereby notionally promoted to the grade of Head Havaldar (Group 'C' non gazetted, non-ministerial) in Level-2 of the Pay Matrix (Rs. 19,000 - 63,200) plus such allowances as may be applicable, with effect from dates mentioned against their names.

Sl. No.	Name S/Shri/Smt.	DOB	Earlier date of Promotion as Head Havaldar	Date of notional promotion
1.	Sanith Kumar K.T. (SC)	19.12.1979	05.01.2022	04.01.2021
2.	Deepa K. Nair	04.09.1979	03.01.2022	08.01.2021

Recd
 08-08-2025
 done

3. No financial arrears will be admissible to the above officers for the period between the date of notional promotion and the date on which they had actually joined the promoted post.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 08-08-2025
14:59:23

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**

Copy to:

1. **The Assistant/ Deputy Commissioner in charge of all divisions under Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**
4. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt.

Date: As E-signed

ORDER NO. 221/2025

Sub: Promotion to the grade of Tax Assistant – Reg.

The following officers are hereby promoted to the grade of Tax Assistant in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	Unnikannan P.O., Head Havaldar	31.05.1973	Kozhikode Commissionerate
2.	Girish Babu Thundiyl, Head Havaldar	30.05.1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
3.	Valsala M.V., Head Havaldar	08.05.1970	Kozhikode Commissionerate
4.	Thomas Xavier C., Head Havaldar	08.04.1970	Kozhikode Commissionerate
5.	Anil Kumar R., Head Havaldar	17.05.1975	Thiruvananthapuram Commissionerate
6.	Binumon T.P., Head Havaldar	19.05.1975	Kozhikode Commissionerate
7.	K.B. Sebastian, Head Havaldar	18.03.1975	Kozhikode Commissionerate
8.	P. Rajani, Head Havaldar	26.05.1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
9.	K. Harinarayanan, Head Havaldar	30.04.1966	Kozhikode Commissionerate
10.	Raviprasad P.V., LDC	28.02.1971	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

*Recd
8-8-2025
dom.*

2. The officers should join the promoted post on or before **22.08.2025** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. They will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.
3. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **29.08.2025**.
4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 08-08-2025
13:39:35

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To
The individuals (Through the supervisory officers concerned).

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Thiruvananthapuram.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.
3. The AD (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/1/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 222/2025

Sub: Confirmation in the grade of Tax Assistant - Reg

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Tax Assistants of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Date of confirmation
1	Pranshi Singh	18.02.1994	18.03.2024
2	Vivek Krishna M.C.	11.03.1993	18.03.2024

- Necessary entries may be made in the service book of the individuals.
- Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 08-08-2025

18:07:30

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

Recd
8-8-2025

done

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 223/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/103198)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 05.08.2025, **Shri. R. Anil Kumar (UR category)**, who was previously engaged as a Part-Time Casual Labourer, has been regularised and he is hereby appointed to the post of Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **06.08.2025 (A.N)**.

2. **Shri. R. Anil Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Rcd
 07-08-2025
 Jowl

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 07-08-2025

18:24:46

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. R. Anil Kumar
S/O N. Radhakrishna Pillai,
Villathil Kannimel Cherry,
Kavanadu P.O., Kollam,
Kerala-691003.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 224/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/103199)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar - Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 05.08.2025, **Shri. N. Babu (UR category)**, who was previously engaged as a Part-Time Casual Labourer, has been regularised and he is hereby appointed to the post of Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **06.08.2025 (A.N)**.

2. **Shri. N. Babu** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Red
7-8-2025
done

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by

Rani C R

Date: 07-08-2025

18:25:46

[Rani C.R.]

Additional Commissioner [P&V]

To


Shri. N. Babu
S/O Neelakanta Pillai,
Baiju Mandiram, Nadakkal,
Vilavoorkonam P.O., Kalluvathukkal,
Kollam, Kerala-691578.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/88/2020-Estt

Date: As E-Signed

ORDER NO. 225/2025
 (DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST &
 CX/Kochi/HAVALDAR/103200)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 05.08.2025, **Shri. D. Chandran (SC category)**, who was previously engaged as a Part-Time Casual Labourer, has been regularised and he is hereby appointed to the post of Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level - 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **06.08.2025 (F.N)**.

2. **Shri. D. Chandran** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Recd
 7-8-2025
 done

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 07-08-2025
18:26:34

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. D. Chandran
S/O Devadas,
Powerhouse Division,
Pallivasal PO, Devikulam,
Idukki, Kerala-685612.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/59/2021-Estt**Date: As E-signed****ORDER NO. 226/2025****Sub: Notional promotion to the grade of Lower Division Clerk – Reg.**

The Review DPC meeting held on 05.08.2025 reviewed the proceedings of the Annual DPC meeting held on 29.12.2021 and the Supplementary DPC held on 10.05.2022 for granting notional promotion to the cadre of Lower Division Clerk of Central Tax and Central Excise for the vacancy years 2021 and 2022 by virtue of relaxation in qualifying service granted by DOP&T OM AB-14017/17/2018-Estt. RR dated 12.08.2021 read with O.M. No. 22011/4/2013-Estt (D) dated 08.05.2017 and approval of the competent authority conveyed vide Board's letter F. No. 32018/22/2021-Ad.III.A dated 28.04.2022.

2. As per the findings of the aforesaid Review DPC, the following officers are hereby notionally promoted to the grade of Lower Division Clerk in Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900 - 63,200) plus such allowances as may be applicable, with effect from the dates mentioned against their names.

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of birth	Earlier date of promotion as LDC	Date of notional promotion
1.	Sreejith K.V. (SC-M)	14.04.1990	07.01.2022	05.01.2021
2.	Rahul T. Raj (SC-M)	09.08.1986	05.01.2022	05.01.2021
3.	Akhil Thomas	13.01.1993	01.01.2022	05.01.2021
4.	Rakesh K.R. (SC-M)	13.05.1994	11.05.2022	14.02.2022

Red
08-08-2025
done

5.	Sabna T.S.	04.03.1984	11.05.2022	14.02.2022
6.	Harikrishnan A.R. (SC-M)	09.08.1997	11.05.2022	15.02.2022

3. No financial arrears will be admissible to the above officers for the period between the date of notional promotion and the date on which they had actually joined the promoted post.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 08-08-2025
15:02:29

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Appeals.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kakkanad/Perumbavoor Divisions.**
2. **The Superintendent (Vig./Systems/Headquarters), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
4. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 227/2025

**Sub: Transfer & Postings in the cadres of Superintendent & Inspector,
 Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.**

The following transfer & postings in the cadres of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri./ Smt./Ms.)	Date of Birth	Designation	From	To
1.	Sandeep Kumar	15.08.1983	Superintendent	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Vandiperiyar Range
2.	Vijaya T N	13.08.1973	Superintendent	Amballur Range, Chalakudy Division	Kakkanad Division
3.	Revikumar E	19.05.1967	Superintendent	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Amballur Range
4.	Geeta K P	28.01.1969	Superintendent	Hqrs Kochi	RTI Section, Hqrs Kochi
5.	Jincy M P	21.05.1983	Superintendent	Ernakulam Division	Technical/DGARM Section, Hqrs Kochi
6.	Barada Prasanna	15.07.1978	Superintendent	Arrear/Training Section, Hqrs	Arrear/ Sevottam / Training

Rcd
 12.08.2025
 done

	Das Mallick			Kochi	Section, Hqrs Kochi
7.	Anandan Nair	31.05.1967	Superintendent	Technical/RTI Section, Hqrs Kochi	Technical Section, Hqrs Kochi
8.	Pothuraju Sivaprasad	23.05.1990	Superintendent	Statistics/DGARM Section	Statistics Section, Hqrs Kochi
9.	Anoop A	09.07.1999	Inspector	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Perumbavoor Division
10.	Linda Newin	06.02.1998	Inspector	Systems Section, Hqrs Kochi	Systems/RTI Section, Hqrs Kochi
11	Ramendra Singh	30.03.1991	Inspector	Statistics Section, Hqrs Kochi	Statistics/DGARM Section, Hqrs Kochi
12	Jince Pius	16.01.1997	Inspector	Technical/RTI Section, Hqrs Kochi	Technical Section, Hqrs Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers, except the new recruit, are to be relieved from their present place of posting by **22.08.2025**. The new recruit is to join immediately on his relief. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

5. The controlling officers are to report compliance by **25.08.2025**.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 12-08-2025
18:24:28

[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

- 1. All Dy./Asstt. Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for Hindi Version**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Hqrs Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 228/2025

Sub: Transfer and Postings in the grades of Havaldar, and Multi-Tasking Staff – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Havaldar, and Multi-Tasking Staff are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name and designation (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Nevin B Jacob, Havaldar	29.12.1999	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Hqrs. Kochi
2	Suresh Kumar K.R., Havaldar	05.05.1975	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division
3	Amal Krishnan K.P., Havaldar	29.09.2001	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Perumbavoor Division
4	Deependra Singh Tomar, Multi-Tasking Staff	10.08.1997	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Idukki Division

- The officers are to join immediately on their relieving.
- No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

Rcd
 18.8.2025
 J. M.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
5. The controlling officers are to report compliance by 21.08.2025.
6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 18-08-2025
10:08:10

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 229 /2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent and Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri/Smt)	Date of Birth	Designation	From	To
1	Nikhil Mohan	26.05.1982	Superintendent	On repatriation from DRI Kochi Zonal Unit	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
2	Anandhu Nanoo Udayanan	11.04.1990	Inspector	On repatriation from DRI Trivandrum Regional Unit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **29.08.2025**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from the officers before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Recd
26.8.2025
done

5. The controlling officers are to report compliance by **01.09.2025**.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 26-08-2025
10:40:48

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Audit, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Thiruvananthapuram/Audit, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi, Thiruvananthapuram/Audit.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 230/2025

**Sub: Transfer & Postings in the cadres of Superintendent & Inspector,
Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.**

In partial modification of Order No. 227/2025 dated 12.08.2025, the following transfer & postings in the cadres of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri./Smt)	Date of Birth	Designation	From	To
1.	Jincy M P	21.05.1983	Superintendent	UoT to Technical/DGARM Section, Hqrs Kochi	Retained at Ernakulam Division
2.	K M Maneesh	16.02.1991	Superintendent	Ernakulam Division	Technical/DGARM Section, Hqrs Kochi
3.	Jince Pius	16.01.1997	Inspector	Technical Section, Hqrs Kochi	DGARM Section, Hqrs Kochi
4.	Gajendra Kumar Meena	31.10.1995	Inspector	Ernakulam Division	Technical Section, Hqrs Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **02.09.2025**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

Recd
25-8-2025

done



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 231/2025**Sub: Transfer and postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.**

The following transfer and postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	Posted	
			From	To
1.	Girish Babu Thundiyl	30.05.1968	On promotion	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
2.	Valsala M.V.	08.05.1970	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
3.	Thomas Xavier C.	08.04.1970	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
4.	Anil Kumar R.	17.05.1975	On promotion	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
5.	Binumon T.P.	19.05.1975	On promotion	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate

Recd
27-6-2025
epu

6.	K.B. Sebastian	18.03.1975	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
7.	P. Rajani	26.05.1968	On promotion	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
8.	K. Harinarayanan	30.04.1966	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
9.	Raviprasad P.V.	28.02.1971	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 04.09.2025 and to join their new place of posting latest by 15.09.2025. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

5. The controlling officers are to report compliance by 19.09.2025.

6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 27-08-2025
15:38:47

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit/Kozhikode/Thiruvananthapuram.**

4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

- 1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 3. The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT

Date: As E-signed

ORDER NO. 232/2025

Sub: Transfer and Posting in the grade of Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Murugan M., Head Havaldar	26.05.1969	Hqrs, Kochi	Munnar Range

2. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by

Maya Kurian

Date: 12-09-2025

09:08:37

[Maya Kurian]

Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Deputy / Assistant Commissioners Central Tax & Central Excise, Idukki Division.

12.9.2025
done

2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Idukki Division.**
4. **The Superintendent (Vig.)/ (Hqrs.), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 234/2025

**Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of
Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg**

Consequent on the issue of Office Order No.32/2025 (DGHRD/ADC-JC/149/2025) dated 20.08.2025 by the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, the following work allocation among Additional/Joint Commissioners of Kochi CGST & CX Commissionerate is hereby ordered with immediate effect until further orders.

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	Link Officer
1.	Rani C.R., Additional Commissioner	Establishment, Personnel & Vigilance, Administration, CRU, Accounts, Bhavishya, Systems, Infrastructure, Welfare, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Sports, Headquarters & Official Language; Supervision of Ernakulam, Chalakudy and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Farah Zachariah, Joint Commissioner
2.	Farah Zachariah, Joint Commissioner	Anti Evasion, Prosecution, Verification Cell, Technical, Parliament Questions, DGARM, Statistics and Intelligence & GST Seva Kendra, Adjudication, Right to Information Act; Supervision of Aluva,	Rani C.R., Additional Commissioner

Recd
15-9-2025
done

		Perumbavoor, Idukki and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	
3.	Dr. A. Venkadesh Babu, Joint Commissioner	Legal, Review, Audit, Tax Arrears Recovery, Right to Information Act (Appeals), Training, Sevottam. Any other work assigned by the Commissioner.	Farah Zachariah, Joint Commissioner

2. Hindi version follows.

Digitally signed by
K. Kalimuthu
Date: 15-09-2025
14:28:35

[K. Kalimuthu]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

- 1. All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
- 2. All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
- 3. All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
- 4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**
- 5. The AD (OL), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 235/2025**Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.**

The following work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	Maya Kurian	Establishment, Personnel & Vigilance, Administration, CRU, Accounts & Systems	Sarath Chandran M.	Subha Chandran
2.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution, Verification Cell, Technical, Parliament Questions, DGARM, Statistics and Intelligence & GST Seva Kendra	Maya Kurian	Subha Chandran
3.	R. Shyju	Adjudication	Raja Tomy	Sarath Chandran M.
4.	Ranjit	Review,	Subha	Raja Tomy

Recd
16-9-2025
done

	Santakumar	Infrastructure, Welfare, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Sports & Headquarters	Chandran	
5.	Subha Chandran	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Latha	Ranjit Santakumar
6.	Raja Tomy	Right to Information Act (CPIO), Training & Sevottam.	R. Shyju	R. Latha
7.	R. Latha	Legal	Ranjit Santakumar	R. Shyju
8.	Rajesh Jacob K	Aluva Division	Beena Vas S.	C. Santosh Kumar Menon
9.	Sudarshan Nanasaheb Sonawane	Ernakulam Division	C. Santosh Kumar Menon	Marykutty Chacko
10.	C. Santosh Kumar Menon	Kakkanad Division	Marykutty Chacko	Sudarshan Nanasaheb Sonawane
11.	Beena Vas S.	Chalaky Division	Sasidharan	Joy Joseph
12.	Sasidharan	Thrissur Division	Rajesh Jacob K	Beena Vas S.
13.	Marykutty Chacko	Perumbavoor Division	Joy Joseph	Sasidharan
14.	Joy Joseph	Idukki Division	Marykutty Chacko	C. Santosh Kumar Menon

2. In addition to the charges assigned, the officers shall attend to any other work assigned by the controlling officer from time to time.
3. Shri. Raja Tomy, Assistant Commissioner will be the link officer for Assistant Director (Official Language), Headquarters Kochi.
4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 16-09-2025
16:40:17

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.


Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**
5. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM /II/(39)/72/2021-Estt.

Date :- As e-signed

ORDER NO. 236/2025

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No. A26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officer is hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against his name.

Sl. No	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st /2nd /3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
1.	Rajeev P.P., Supdt.	23.05.1973	3rd	23.02.2022	Level 10

2. Financial upgradation granted to the officer is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's interseniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior- Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming

*Rcd
17-9-2025
down*

entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as up-gradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial up-gradation under MACPS.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 17-09-2025
11:29:34

[Rani C R]

Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

2

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Addl/Joint Commissioner (P&V), Customs (Preventive), Cochin.**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi**
3. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/Customs Preventive, Cochin, AO(DDO) Customs Preventive, Cochin.**
4. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
5. **Hindi Cell of Kochi Commissionerate.**





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-Estt

ORDER No. 237/2025

Sub: Regularisation of promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

The following officers promoted on ad-hoc basis vide Order No. 187/2014 dated 04.11.2014 are hereby regularised in the grade of Superintendent of Central Excise with effect from the date they assumed charge in the grade.

Sl. No	Name of the Officer (S./Shri./Smt.)	D.O.B	Regularise d w.e.f.	Seniority
1	KANNARA BALACHNDRAN	31.12.1968	04.11.2014	Placed immediately below Smt. Ganga Devi T.S in the panel drawn by the Review DPC meeting held on 20.07.2016
2	P. L. JOY	18.05.1963	04.11.2014	Placed immediately below Shri. Kannara Balachandran Sl. No. 1 above
3	P.D. SANTHOSH BABU	20.02.1967	04.11.2014	Placed immediately below Smt. Lizzy Thomas in the panel drawn by the Review DPC Meeting held on 20.07.2016
4	RADHAKRISHNA PILLAI K.R.	25.05.1964	04.11.2014	Placed immediately below Shri. P.D. Santhosh Babu Sl. No. 3 above

Recd
22-9-2025
done

5	C.C. BABY	25.12.1963	04.11.2104	Placed immediately below Shri. Radhakrishna Pillai K.R Slo. No. 4 above
---	-----------	------------	------------	--

2. The promotions are subject to the final outcome of OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023, 344/2024 & 304/2025 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

3. The above officers will have to exercise the option for pay fixation in terms Department of Personnel & Trainings O.M. dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. The option once exercised shall be final.

4. This is issued with the approval of Commissioner.

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-09-2025
11:37:27

[Rani C. R.]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**

Copies to:

1. **All Dy./ Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Deputy/Asst. Commissioner in Kozhikode/Custom Preventive/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit/CCP.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**

- 5. The Superintendent (Syatems) - for uploading in website.**
- 6. Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER NO. 238/2024

Sub: Notional promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise – Reg.

Shri. K. Muraleedharan (D.O.B – 01.05.1967), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from 27.01.2023 i.e., the date of joining as Superintendent of his immediate junior, Shri. Williams M. A.

2. The officer's seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Smt. Subha H. S. and above Shri. Williams M.A.
3. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final. If the officer has already been granted financial upgradation under MACP Scheme, then he shall not be entitled for pay fixation benefits now.
4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023, 344/2024 & 304/2025 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in Courts/Tribunals concerned.
5. The compliance report about joining/non-joining of the officer may be sent to this office by 03.10.2025.

Lcd
 22-9-2025
 done

6. This is issued with approval of the Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kochi.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-09-2025
18:09:14

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Kozhikode .**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404
GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT Date: As e-signed

ORDER NO: 239/2025

Sub:- Grant of Non-functional upgradation (NFU) to Superintendent –Reg.

The following Superintendents of Central Tax and Central Excise have been granted non - functional upgradation in GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of joining as Superintendent.

Sl.No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent on Promotion	Date of Granting NFU
1	SUMIT KUMAR	01.03.2021	01.03.2025
2	ASHISH KUMAR MEENA	01.03.2021	01.03.2025
3	LEKSHMI KUMARI C	01.03.2021	01.03.2025
4	SAURAB KUMAR	02.03.2021	02.03.2025
5	JAYAN K G	01.07.2021	01.07.2025

*Recd
22-9-2025
done*

The officers will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kochi.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 22-09-2025
11:35:37 [Rani C R]
Additional Commissioner (P&V)

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

- 1. The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Idukki Division.**
- 2. The Assistant Director (Estt.), Directorate of Enforcement, Room No. 111, 'A' Block, Pravartan Bhavan, Dr. A. P. J. Abdul Kalam Road, New Delhi - 110011**
- 3. The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
- 4. The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 240/2025

Sub: Transfer and Postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar-Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Ms.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Antony J., Head Havaldar	24.03.1970	Under order of transfer to (Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
2	Balu K., Head Havaldar	12.05.1970	Under order of transfer to (Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
3	Surendran E.T, Head Havaldar	10.04.1971	Under order of transfer to (Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Retained at Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
4	Rugmani C., Havaldar	15.05.1967	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
5	Vishwanathan P.C., Head Havaldar	29.05.1966	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

Red
23-9-2025
done

6	Babu N., Havaladar	28.05.1976	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
7	Sidharth D R, Havaladar	14.02.2000	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	(Airport, Trivandrum) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
8	Sanjay Kumar Mishra, Havaladar	27.03.1999	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
9	Banoth Anil, Havaladar	15.08.2002	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	(Airport, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The posting to Air Customs formations are **subject to vigilance clearance of the officers as on date**. Before relieving the officers to the respective formations [i.e., Airport], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airports are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Ms. Rugmani C, Havaladar (S. No. 4), is transferred on her own request, hence is not entitled to Transfer TA.

4. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **03.10.2025** and to join their new place of posting latest by **10.10.2025**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

5. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

6. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

7. The controlling officers are to report compliance by 15.10.2025.

8. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 23-09-2025
10:07:59

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)


Copy submitted to:

**1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs,
Thiruvananthapuram Zone.**

2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **The Superintendent (Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/25/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT ORDER NO. 241/2025

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/99148)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, communicated after the Rozgar Mela held on 26.04.2025, **Shri. Omanshu Tripathi**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No:A-12034/2/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 08.04.2025 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.09.2025 (F.N)**.

2. **Shri. Omanshu Tripathi**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Shri. Omanshu Tripathi** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Recd
27-9-2025
dowu

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of OA No.1102/2025 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

6. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 27-09-2025
14:02:55

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

**Shri. Omanshu Tripathi,
Vill Pidhi Post Dohri
Block Deeh Tehsil
Salon Distt Raebareli
Uttar Pradesh Pincode 229310**

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
 सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018
 E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/295/2021

दिनांक Date: As e-signed

VIGILANCE CIRCULAR NO. 03/2025

**Sub: Participation in any form of strike/ boycott of work etc. by
 Government servants- CCS (Conduct) Rules- Reg.**

Attention of all officers is invited to various instructions issued by DoPT from time to time which prohibit Government servants from participating in any form of strike including mass casual leave, go slow etc. or any action that abet any form of strike in violation of Rule 7 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

Attention of all employees of this Department is also drawn to DoPT O.M. No. 33012/1(s)/2008-Estt(B) dated 12.09.2008(copy enclosed) on the subject for strict compliance.

It is reiterated that any instances of violation of discipline and Conduct Rules would be viewed seriously and action taken according to the provisions of the relevant rules on the subject.

Red
 8-7-2025
 done

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 08-07-2025
14:48:08

(Rani C. R.)
Additional Commissioner (P&V)

Copy submitted to:

**The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone**

Copy To:

- 1. Additional Commissioner/ Assistant Commissioners in CCO**
- 2. The Joint Commissioner, Hqrs., Kochi**
- 3. All Deputy/ Assistant Commissioner in Hqrs. Office, Kochi**
- 4. The Deputy/Assistant Commissioner, Kakkanad /Idukki /
Aluva/ Thrissur/ Perumbavoor / Ernakulam/ Chalakkudy
Division**
- 5. The General Secretary, All India Association of
Superintendents of Central Tax, Kerala Unit**
- 6. The General Secretary, All India Central Excise Inspectors'
Association, Kerala Circle**
- 7. The Superintendent (Systems) for uploading the Circular in the
official website**
- 8. Notice Board**